

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੰ. 201] No. 201] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2009/पीच 2, 1931

DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2009/PAUSA 2, 1931

[रा.रा.स.क्षे. दि. सं. 264

N.C.T.D. No. 264

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोवता कार्य आयुक्त का कार्यालय

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी/527.— जबिक राष्ट्रीय राजधीनी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9/1/97-एफएंडएस/नीति(11)/252 के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाइसॅस एवं नियंत्रण) आदेश, 1974 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी(3)/17 के अनुसार दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 रदद करते हैं।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने कृषि मंत्रालय (खाद्य विधाग) भारत सरकार की दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ)के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए 12-5-2008 को आदेश दिया कि वह दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 संबंधी क्रमश: दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97-एफएंडएस/पी एवं सी(11)/252 तथा 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एवं सी(3)/17 उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (द्वितीय

संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित रखते हैं।

जबिक केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है।

और जबिक पूर्वोक्त आदेश के खंड 2, 3 और 4 में व्यवस्था है:--

- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, प्रस्तिक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अविध के लिए बस्तुएं अर्थात् खाद्य तेल, तिलहन एवं चावल के लिए स्थिगित रखे 'जाएंगे ।
- इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में खाद्य तेल तिलहन एवं चाथल की दुलाई, वितरण या निपदान पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा !

शतं यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टाक की प्राणियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है।

(1)

4700 DG/2009



व्याख्याः यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल एडता है तब उन्हें स्टाक सीमा को गणना करने के प्रयोजन के लिए चहर रखा आएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसॉसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण सम्बन्धी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी।

अब इसिलए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) घगा सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ यदित अनिवार्य वस्तु अधिनयम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 इपर प्रदेश शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली च उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं शिवंत्रण), जादेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी (लाइसेंसिंग) आदेश, 1988 से संबंधित क्रमश: दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97-एफ एवं सी/पी एवं सी(2)/252 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002 एफ एवं एस/पी एवं सी(3)/17 इस अदेश के प्रवत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की असामी अवधि के लिए विनिर्देष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग जादश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (चौद्य संशोधन) आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक स्थिमत एखा जाएन।।

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 23rd December, 2009

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/527. —Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, rescinded the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977, vide Order No. 9/(1)/97-F&S(P&C)/II/252 dated 9th March, 1998, and Delhi Foodgrains Dealers Licensing Order, 1988 vide Order No. F 3(4)2002/F&S(P&C)/(3)/17 dated the 20th June, 2002;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Order issued by the Government of India. Ministry of Agriculture (Department of Food) vide Notification No. G.S.R. 452 (E) dated the 25th October, 1972 ordered on 18th May, 2009 that Order No. 9(1)/97-1&S(P&C)/11/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F.3(+)/2002/F&S/IP&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Foodgrain Dealers Licensing Order, 1988, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2008;

for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier:

Whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O. 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009;

And whereas clauses 2, 3 and 4 of the aforesaid Orders provides:—

- "2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds and rice for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this order.
- Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above."

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. 9(1)/97-F&C(P&C)/(II)/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Foodgrain Dealers Licensing Order 1988, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order 2009; for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this Order.

सं, फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/यी व सी/528.— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो के उपराज्यपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3/17/2003 - एफ एंड एस/नोति(1)/206 के अनुसार दिल्ली दाल (च्यापारी लाइसेंसिंग), आदेश, 1974 रद्द करते हैं ;

जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली दाल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1974 संबंधी 18 मई, 2009 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/163 के अनुसार आदेश किए गए कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार के दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं आकारित. 452(अ)के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (तृतीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थिगत करते हैं;

जबिक केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एथं सार्वजिनक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्देष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 1(2), 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :—

"1(2) यह अक्तूथर, 2009 के प्रथम दिन प्रभावी होगा ।

- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदाधौ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अविध के लिए वस्तुएं अर्थात् दाल के लिए स्थिगत रखें जाएंगे ।
- इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में दालों एवं धान की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती हैं।

च्याख्या: यदि कोई धोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टाक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए याहर रखा जाएगा।

 विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उत्लिखित अपिंध के दौरान थी।"

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिलुक्ता सं. सा.का.नि. 800 द्वारा आरी आदेश को माध

पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसेंस), आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003-एफ एंड एस/नीति(1)/206 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2009 के उपवंधों की सीमा तक स्थिगत रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपग्रन्थपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

आर. डी. शर्मा, सहायक आयुक्त (नीति एवं समन्वय)

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/528.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, rescinded the Delhi Pluses (Licensing of Dealer) Order, 1974, vide Order No. F. 3(17)/2003/F&S/Policy (1)/206 dated the 12th July, 2004;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) vide Notification No. G.S.R 452 (E) dated the 25th October, 1972 ordered vide Order No F. 3(4)/2002/F&S/P&C/163 dated the 18th May, 2009 relating to Delhi Pluses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2009;

And whereas clause 1(2), 2, 3 and 4 of the aforesaid orders provides :--

- "1(2) It shall come into force on the first day of October, 2009.
- 2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commedities, namely, pulses for a further period up to 30th September 2010 from the date of commencement of his order.
- Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of putses to it. co.

DINARY

दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3/17/2003- एक एंड एस/नीति(13/206 के अनुसार दिल्ली चल (व्यापारी लाइसीसिंग), आदेश, 1974 रदद करते हैं :

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली दाल (लाइसेंस एवं नियंत्रण), आदेश, 1974 संबंधी 18 मई, 2009 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/163 के अनुसार आदेश किए गए कृषि मंत्रालय (ख्खद्य विभाग), भारत सरकार के दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं सा.का.नि. 452(अ)के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदेश सांबत्यों का प्रायोग करते हुए उबत आदेश रा। आगामी आदेश, को भी पहले हो, जारी होने की विधि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अखिंध के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (तृतीय संशोधन) आदेश, 2008 को निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थांगत करते हैं;

जबित केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं का.आ. 2461(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थी संबंधी (लाइसेसिंग अत्वश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खंड 1(2), 2, 3 और 4 में ज्वसम्था है :—

- "।(2) यह अक्तूबर, 2009 के प्रथम दिन प्रभावी होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (लाइसोंसँग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिकों के लिए क्रय, शाने ले जाने बिकों, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के लिए चस्तुएं अर्थात् दाल के लिए स्थिगत रखें, जाएंगे ।
- 3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में दालों एवं धान की दुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न हो इन वस्तुओं के आयात पर लागू क्षोगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है।

व्याख्या: यदि कोई थोक विकंता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टाक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसीसंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिवंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खंड 2 में उल्लिखित अविध के दौरान थी।"

अब इसतिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक ९ जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पंडित अनिवार्थ वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धा हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दि के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसे आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश म 3(17)/2003-एक एंड एस/मीति(1)/206 इस आदेश के प्रवृत्त की विधि से 30 सितम्बर, 2010 तक की आगामी अवधि के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक व तथा लाने ले जाने में प्रतिवंध) निवारण आदेश, 2009 के उपवंधे सीमा तक स्थागत रखा जाएगा।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपार आदेश से तथा उनके नाम

आर. डी. शर्मा, सहायक आयुक्त (मीति एवं समन

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/528.—Whereas, Lt. Governor of the National Capital Territory of De rescinded the Delhi Pluses (Licensing of Dealer) Or 1974, vide Order No. F. 3(17)/2003/F&S/Policy(1)/206 de the 12th July, 2004;

Whereas, the Lt. Governor of National Cap Territory of Delhi, in exercise of powers conferred Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 1955) read with the Order issued by the Governmen India, Ministry of Agriculture (Department of Food) 1 Notification No. G.S.R 452 (E) dated the 25th October, 1 ordered vide Order No F. 3(4)/2002/F&S/P&C/163 dathe 18th May, 2009 relating to Delhi Pluses (Licensing Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the exof the provision of the Removal of (Licensing requireme Stock Limits and Movement Restrictions) on Specif Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a fun period up to 30th September, 2009, from the date of is of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government vide Ministry Consumer Affairs, Food and Public Distributi Department of Consumer Affairs, Notification No. : 2461(E) dated 25th September, 2009 has issued the Remo of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movem Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendme Order, 2009;

And whereas clause 1(2), 2, 3 and 4 of the afores orders provides:—

- "I(2) It shall come into force on the first day October, 2009.
- 2. The words and expressions used in respect purchase, movement, sale, supply, distribution or stor for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Str. Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodsh Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodit namely, pulses for a further period up to 30th Septemb 2010 from the date of commencement of this order.
- Nothing contained in this order shall affect transport, distribution or disposal of pulses to pla

-

outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then they would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital

Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. F. 3(17)/2003/F&S/(Policy)(1)/206 dated the 12th July, 2004 relating to the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2009; for a further period up to 30th September, 2010 from the date of commencement of this Order.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA, Asst. Commissioner (P&C)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सं. फा. 32(13)/2009/स्था. एवं परि. कल्याण/9183.—दिल्ली चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्या 5) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली चिकित्सा परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों का नाम प्रकाशित करती है :—

क्र.सं.	नाम ः	श्रेणी जिसमें नामांकिद:चर्चानत किया गया	-
1.	डॉ. अशोक सेठ	धारा 3 की ठप-धारा (3) छंड (क)	
2	डॉ. नवीन डांग	-वही-	
3.	डॉ. अर्राविद चौपड्।	-वर्त-	
4.	डॉ. पुरुषोत्तम साल	-वही-	
S.	डॉ. ए. के. अग्रवास - मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (ख)	
6.	डॉ. जी. के. शर्मा - लेडी डॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज	-वहीं	
7.	डॉ. ओ. पी. कालरा - विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कॉलेज	- ব হুী-	
8.	डॉ. थी. गुप्ता - वर्धमाम महावीर मेडिकल कॉलेज	-चहो-	
9.	डॉ. भनोज सिंह - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान	वही	
10.	वि. विनय सय - आर्मी कॉलेज ऑफ पेडिकल साईस	-वहीं-	
11.	डॉ. अनिल बंसल	धारा ३ की उप-धारा (३) खंड (ग)	
12.	डॉ. अजय गम्भीर	-ব <u>হ</u> ী-	
13.	डॉ. के. के. अग्रवाल	-यहाँ-	
14.	डॉ. प्रवीण भाटिया	-वही-	
15.	डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह	-acl-	
16.	डॉ. विनय कुमार अग्रवाल	-वही-	
17.	डॉ. अनिल गोयल	–শহী	

1	2	. 3
18.	डॉ. चंद्र प्रकाश	धारा 3 की उप-धारा (3) खण्ड ग
19.	डॉन - मेडिकल फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय - पदेन सदस्य	धारा 3 की उप-धारा (3) खंड (घ)
20.	निदेशक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - परेन सदस्य	धारा ३ की उप-धारा (३) खंड (ङ)

उक्त अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष का होगा ।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 23rd December, 2009

No. F. 32(13)/2009/H & FW/9183.—In exercise of the powers conferred under Section 4, sub-section (1) of Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the names of Members of the Delhi Medical Council, as under:—

Sl. No.	Name	Clause under which nominated/elected
1.	Dr. Ashok Seth	Chause (a) of sub-section (3) of Section
2.	Dr. Navin Dang	Clause (a) of sub-section (3) of Section
3.	Dr. Arvind Chopra	Clause (a) of sub-section (3) of Section
4.	Dr. Purshotam Lal	Clause (a) of sub-section (3) of Section
5.	Dr. A. K. Aggarwal - Maulana Azad Medical College	Clause (b) of sub-section (3) of Section
6.	Dr. G. K. Sharma - Lady Hardinge Medical College	Clause (b) of sub-section (3) of Section
7.	Dr. O. P. Kalra - University College of Medical Sciences	Clause (b) of sub-section (3) of Section
8.	Dr. B. Gupta - Vardhman Mahavir Medical College	Clause (b) e+ sub-section (3) of Section
9,	Dr. Manoj Singh - All India Institute of Medical Sciences	Clause (b) of sub-section (3) of Section
10.	Dr. Brig. Vinay Rai - Army College of Medical Sciences	Clause (b) of sub-section (3) of Section
11.	Dr. Anil Bansal	Clause (c) of sub-section (3) of Section
12.	Dr. Ajay Gambhir	Clause (c) of sub-section (3) of Section
13.	Dr. K. K. Aggarwal	Clause (c) of sub-section (3) of Section
14	Fir. Prayeen Bhatia	Clause (c) of sub-section (3) of Section
15.	Dr. Narender Pal Singh	Clause (c) of sub-section (3) of Section
16.	Dr. Vinay Kumar Aggarwal	Clause (c) of sub-section (3) of Section
17.	Dr. Anil Goyal	Clause (c) of sub-section (3) of Section
18.	Dr. Chander Prakash	Clause (c) of sub-section (3) of Section
19.	Dean, Medical Faculty, University of Delhi - (Ex-officio)	Clause (d) of sub-section (3) of Section
20.	Director, Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi - (Ex-officio)	Clause (e) of sub-section (3) of Section

Subject to provisions of the aforesaid Act, the Term of Office of the above Members shall be five years from the date of publication of this Notification.

सं. फा. 70/49/2006/स्वा. एवं घरि. कल्य,/पार्ट फा.-IV-/9192.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/78/68-डीएच(एच) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्थास्थ्य सेवा (एलोपेथी) की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिण शीर्ष एवं प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 कहे जायेंगे ।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- परिभाषाएं,—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "आयोग" का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग से;
 - (ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" का अर्थ है स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार;
 - (ग) "विभागीय पदोन्ति सिमिति" का अर्थ है समूह "क" विभागीय पदोन्ति सिमिति जो सेवा के समूह "क" में पदोन्ति या स्थायीकरण के मामलों के विचारार्थ अनुसूची IV में विनिर्दिश्ट है;
 - (च) "इ्यूटी पद" का अर्थ है कोई ऐसा पद जो अनुसूची !! में विनिर्दिष्ट है, स्थायी हो या अस्थायी;
 - (ङ) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो के उप-राज्यपाल;
 - (च) "ग्रंड" का अर्थ है अनुसूची । में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;
 - (छ) "अनुस्ची" का अर्थ है इस नियमावली की अनुस्ची;
 - (ज) "तेवा" का अर्थ है दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी);
 - (झ) "उप-संवर्ग" का अर्थ है सेवा की कोई दो विधाएं अर्थात् सामान्य ह्यूटी तथा गैर-शिक्षण विशेषज्ञ जैसी भी स्थिति हो ।
- 3. सेवा का संघटन.—सेवा में शामिल सभी ड्यूटी पर केन्द्रीय सिविल सेवा समृह ''क'' के रूप में वर्गीकृत होंगे तथा ग्रेड, वंतनमान, गैर-प्रैक्टिस भत्ता तथा अन्य भामले अनुसूची । में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।
- सेवा की अधिकृत संख्या.—(i) इस नियमवली के प्रवृत्त होने को तिथि पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल इयूटी परों को अधिकृत संख्या अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी;
 - (ii) इस निगमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों में ह्यूटो पदों की अधिकृत स्थाई संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी;

- (iii) सरकार समय-समय पर जैसा आवश्यक समझे, विभिन्न ग्रेडों में द्यूटी पदों की मंख्या में अस्थाई बढ़ोतरी या कमी कर सकती है;
- (iv) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 2 में शामिल पर्से को छोड़कर किसी भी पर को सेवा में शामिल कर सकती है या उक्त अनुसूची में शामिल पद को सेवा से निकाल सकती है।
- (v) सरकार, आयोग के परागर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उप-नियम (iv) के अन्तर्गत सेवा में शामिल किया गया हो, सेवा को समुचित ग्रेड में अस्थाई रूप में या मौलिक रूप में, जैसा भी उचित समझे, नियुक्त कर सकती है तथा समरूप ग्रेड में उसकी लगातार नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए ग्रेड में उसकी बरिष्ठता को निश्चित कर सकती है:
- (vi) प्रत्येक उप संवर्ग (एसएजी के पदों को छोड़कर) भें कुल पद संख्या का दस प्रतिशत तक सेवा में प्रशिक्षण/ अवकाश/प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में शामिल किया जायेगा ।
- (vii) सामान्य इयुटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उप-संवर्ग चिकित्सा अधिकारी (5,400 रुपये ग्रेड पे पीवी-3) में जिन अधिकारियों ने 5,400 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में चार वर्षों की सेवा की है जिसमें संशोधन पूर्व 8000-13,500 रुपये में की गई सेवा भी शामिल है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (6,600 रुपये के ग्रेड पे पीबी-3 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्षों की नियमित सेवा है जिसमें मूर्व संशोधित 10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा भी शामिल है मुख्य चिकित्सा अधिकारी (7.600 रुपये ग्रेड पे वीबी-3) के पद पर पदोन्तति के पात्र होंगे । मुख्य चिकित्सा आधिकारी, इस ग्रेड में संशोधन पूर्व 12,000-16,500 रूपये के वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में ग्रेंड मे 7,600 रुपये में 4 (चार) वर्षी की संवा उपरान्त, मुख्य चिकित्ता अधिकारी (नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड) के ग्रेड में 8,700 रुपये ग्रेड पे के पद पर पदोन्तित किए जाने के दोग्य होंगे । तत्पश्चात् कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) जिसने 14,300-18,300 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-4 में 8,700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष की सेवा की हो या 20 वर्षों की नियमित सेवा की हो वे ग्रेड पे 10,000 रुपये पे बैंड-4 सहित एसएजी ग्रेड में पदोनाति को लिये योग्य होंगे । चिकित्सा अधिकारी से एसएजी ग्रेंड के वेतनमान में पदोन्नतियां, रिक्तियां से नहीं जुड़ी होंगी ।

10,000-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पे बैंड-3 में 6,600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत कोई गैर-शिक्षक विशेषङ ग्रेड-1!!, पे बैंड-3 ग्रेड पे

) अनुसूची 2 में उल्लिखित

7600 रुपये के गैर-शिक्षक उप-संवर्ग के विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, के पद पर पदोन्नित के पात्र होंगे । 12,000-16,500 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सिंहत पे बैंड-3 में 7,600 रुपये के ग्रेड पे में 4 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ अधिकारी ग्रेड-II, पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये पर गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-II में पदोन्नत किए जाने के लिये योग्य होंगे । इसके अतिरिक्त 14,300-18,300 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सिंहत पे बैंड-4 में ग्रेड पे 8,700 रुपये में सात वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त कोई गैर-शिक्षक विशेषज्ञ ग्रेड-I, भे बैंड-4 में 10,000 रुपये के ग्रेड पे सिंहत एसएजी ग्रेड में पदोन्नित किए जाने के लिये योग्य होंगे।

- सेवा के सदस्य -(i) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति
 - (ख) नियम 6 के अन्तर्गत इ्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति;
 - (ग) नियम 7 के अन्तर्गत इ्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।
 - (ii) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति पद के पश्चात् अनुसूची 2 में उस पर लाग् समुचित ग्रंड में सेवा का सदस्य माना जायेगा।
 - (iii) उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति की तिथि से अनुसूची 2 में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा ।
- 6. सेवा का प्रारंभिक गठन .—(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त वे सभी अधिकारी जो इस नियमावली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिल्ली सरकार में कायरत हैं और जो इस सेवा का भाग होने का विकल्प चुनते हैं, इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त माने जायेंगे तथा वे संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।
 - (2) 18 दिसम्बर, 2006 को अर्थात् दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्य/ एसएसएचएफडब्ल्यू/463-475, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के जारी होने की तिथि को या उससे पहले अनुबंध आधार/तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा मूल्योंकित उपयुक्तता तथा अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के आधार पर पद के लिए निर्धारित किया जायेगा तथा दरुस्त पाये जाने पर इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त मानकर उन्हें सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी या गैर-अध्यापन विशेषज्ञ, जैसी भी स्थिति हो, का उप-संवर्ग प्रदान किया जायेगा तथा वे प्रारंभिक गठन स्तर पर संबंधित उप-संवर्ग के प्रविद्धि स्तर पर सेवा के सदस्य होंगे।

Ĭ

- सेवा का अनुरक्षण ,~(1) अनुसूची 2 में उल्लिखित किन्हीं ग्रेडों में रिक्त पदों को इस नियमावली में इसके पश्चात् यथा-उपविधत रूप से भरा जावेगा ।
 - (2) भर्ती पद्धति, पदोन्नित के लिए चयन क्षेत्र जिसमें सेवा में शामिल संबंधित उप-संवर्ग तथा संबंधित उप-संवर्ग में विशेषज्ञता पर नियुक्ति था पदोन्नित के लिए तत्काल निचले ग्रेड या ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, न्यूनतम अर्हक सेवा शामिल है अनुसूची-111 में यथा-विनिर्दिप्ट रूप में होंगे।
 - (3) (i) विभागीय पदोन्नति संबंधित उप-संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेगी;
 - (ii) संबंधित उप-संवर्ग में उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नित तुरम निथले ग्रेड का ग्रेडॉ, जैसी मी स्थित हो, के सेवा के अधिकारियों में से अनुसूची IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशों पर की जायेगी ।
 - (4)(क) सेवा में विभिन्न इ्यूटी परों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अमुधव तथा आयु-सीमा अनुसूची V के अनुसार होंगी;
 - (ख) अनुसूची-V1 में लिनिर्दिष्ट सुपरस्पेशिलिटी के पदों पर सीधी भर्ती जिसके लिये न्यूनतम अनिवार्य योग्यता कॉक्टर आफ पैडिसिन या मैजिस्टर चिरूरजी (एमसीएच) या समकश में 6,600 रुपये ग्रेड पे पीबी-3 (संशोधन पूर्व वेतनमान 10,000-15,200 रुपये) है, में होगी;
 - (ग) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता अनुसूची VI के अनुसहर होगी ।
- टिप्पण : (1) सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, विरष्ट चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) एवं एसएजी के पद तथा गैर-अध्यापन उप-संवर्गों में विशेषज्ञ ग्रेड-III, विशेषज्ञ ग्रेड-II, विशेषज्ञ ग्रेड-I एवं एसएजी के पद पदोन्नित के उद्देश्य के लिये संबंधित उप-संवर्गों में गरस्पर परिवर्तनीय होंगे;
 - (ii) उपरोक्त ग्रेडॉ (प्रविच्टि ग्रेडॉ को छोड़कर) में पदोन्नति एसएजी स्तर तक रिक्तियों की संबद्धता से होंगे !
- 8. प्रतिनियुक्ति द्वारा इ्यूटी पदों को भरना (अल्पावधि अनुबंध सहित). -(1)नियम 7 में कुछ भी होते हुए जहां सरकार का मत है कि पदों को भरना आवश्यक या समीचीन है तो लिखित अभिलेखबद्ध कारणों से सामान्य इयूटी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में तथा गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-3 को

प्रेडों में केन्द्र सरकार (रेलवे एवं रक्षा मंत्रालयों सहित)/राज्य सरकार/संघ राज्य को त्रों को अधीन समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या साविधिक निकार्यों, स्वायत्त निकार्यों, अर्ध-शासकीय संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यतात्राप्त शोध संस्थानों से आयोग के परामर्श से समरूप पदधारी उपयुक्त अधिकारियों के अल्पाविध अनुबंध द्वारा ड्यूटी पद भरे आयेंगे को पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

> बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर भरे गये पदों के विषय में सरकार को आयोग के परामशं से केवल गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में आमेलन पर नियुक्ति पर विचार का अधिकार होगा।

- (2) प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अविध सामान्य तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो विशेष परिस्थितियों में, यदि सरकार उचित समझती है पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- (3) प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर ह्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकारी अन्य के साथ-साथ इस नियमावली की अनुसूची-∨ में पदों के लिये निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को भी पूरा करेंगे ।
- 9. वरिष्ठता.— (1) सम्बंधित उप-संवर्ग के किसी ग्रेड में नियुक्ति संवा के सदस्य के परस्पर वरिष्ठता क्रम या सेवा के उप-संवर्ग की सम्बद्ध विशिष्टता में, जैसी भी स्थिति हो, उप-नियम 6(1) के अन्तर्गत संवा के प्रारंभिक गठन के समय नियम 6(1) के अन्तर्गत ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता इस नियमावली के लागू होने की तिथि पर प्राप्त की गई वरिष्ठता के अनुसार होगी :

बगतें कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को विनिर्देश्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है तो इसका निर्धारण इस नियमावली के लागू होने से पूर्व सदस्य की सेवा पर लागू वरिष्ठता को निश्चित करने संबंधी नियमों के आधीर पर या आयोग के साथ परामर्श करके, जैसी भी स्थिति हो, को आधार पर किया जाएगा।

- (2) जिन अधिकारियों की नियुक्ति नियम 6 (1) के अन्तर्गत हुई है उन्हें छोड़कर अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण इस विषय में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के अनुसार किया आयेगा ।
- (3) नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसार सेवा में मती व्यक्तियों की वरिष्ठता उसमें उपबंधित रूप में निश्चित की जायेगी।
- (4) प्रारंभिक गडन को अवस्था पर तैनाती से पूर्व सोंबंदा आधार/तदर्थ आधार पर कार्य कर चुके डाक्टरों द्वारा ली गई वेतनवृद्धियां जिनका, यदि बचाव किया गया हो, तो यह सेवा काल निर्धारण के लिये या प्रारंभिक गठन के समय

उनकी तैनाती के बाद समयमान के आधार पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता हेतु विचारणीय महीं होगाः ।

- 10. परिश्वीक्षा.—(1) प्रार्शिक गठन के माग के रूप में नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष के लिये परिवीक्ष पर होगा । प्रावधान है कि नियंत्रण प्राधिकारी सभय-सभय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं । आगे प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का निर्णय सामान्यत: पिछली परिवीक्षा अवधि के बीतने पर तथा आठ सप्ताह के गीतर लिया जायेगा तथा ऐसा किये जाने के कारणों को बताते हुथे उक्त अवधि में संबोधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा ।
 - (2) परिवाक्षा या बढ़ी हुई परिवाक्षा अवधि के पूर्ण होने पर यदि उपयुक्त समझा जाता है तो अधिकारी को पद पर स्थाई घोषित किया जायेगा यदि उसे पहले प्रविध्टि ग्रेड में स्थाई नहीं किया गया था।
 - (3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि जैसी भी स्थिति हो, को दौरान सरकार का विचार है कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे बर्खास्त कर सकती है या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वार धारित पद पर जैसी भी स्थित हो, प्रस्थावर्तन कर सकती है।
 - (4) परिवीक्षा या इसकी विस्तारित अवधि के दौरान परिवोक्षा के संतीवजनक पूर्ण करने की शत के रूप में सरकार थथापेक्षित किसी परीक्षा तथा परीक्षाओं को उत्तीर्ण (हिन्दी में परीक्षा सहित) करने को लिये अधिकारी को किसी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण लेने को लिये कह सकती है।
 - (5) जहाँ तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य नामलों का संबंध है, सदस्यों की संवा इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित की जायेगी।
- 11. सेवा में नियुक्ति,—संवा में सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक संविदा सिंहत)/आमेलन के आधार पर सभी नियुक्तियां आयोग से परामर्श करके की जाएगी।
- तैनाती.—सेवा में नियुक्त अधिकारी दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में सेवा करने के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- 13. निजी प्रैक्टिस पर प्रतिश्रंध.—(1)सेवा में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी चाहे जो भी हो जिसमें कोई परामर्श तथा प्रयोगशाला अन्यास शामिल है ।
 - (2) तथापि ऐसे व्यक्ति अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट दर्शे पर गैर-प्रैक्टिस भन्ते के हकदार होंगे ।

- 14. पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्ते.—(1)सदस्यों की सेवा शर्ते उन मामलों के संबंध में जो इन नियमों में स्पन्ट रूप से उपविधत नहीं है यथासंभय परिवर्तनों सहित तथा सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उसी प्रकार होगो जैसी केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर सामान्यत: लागू है।
 - (2) (क) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले अर्थात् दिनांक 1-1-2004 से पहले नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 से नियंत्रित होंगे।
 - (ख) दिनांक 1-1-2004 के बाद नियम 6 को उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगें।
 - (ग) नियम 6 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी दिनांक 1~1-2004 के बाद लागू नयी पेंशन योजना से नियंत्रित होंगे ।
- अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,
 - (क) जिसने किसी ऐसे अन्य महिला/पुरुष से विवाह का करार किया हैं जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी एवं पति हैं या

(ख) जिसने जीवित पति अधवा पत्नी के रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो:

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुश्चेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से खूट दे सकोंगे।

16. शिथिल करने की शिथित,—जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समोचीन हैं तो यह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामशं करके आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणों या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

17. षधाव :-इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, अन्य पिछडे वगौं तथा अन्य विशेष वगों के व्यक्तियों के लिये उपवन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पहेगा।

18. व्याख्या,—यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में सरकार आयोग के परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

अनुसूधी-1

दिल्ली स्थास्थ्य सेवा में सम्मिलित ग्रुप-क पदों के ग्रेड, बेतनमान तथा गैर ग्रैक्टिस असे इत्यादि 1-ग्रेड एवं बेतनमान

क्र.सं.	ग्रेड	वेतनमान	
1	2.	3	
1.	I. सुपहटाइस.ग्रेड.	पे बैंड पीवी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये	
2	स्थेशत्सिट ग्रेड (गैर-शिक्षण)	St. Control of the Control of Con	
A	 (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-! (i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-! (सुपर स्पेशलिस्टस्) (ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-! (सुपर स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त) 	पे बैंड पीबी-4, 37400-67000-रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये पे बैंड पीबी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये	2
	 (ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड-!! (म्प्रेशलिस्ट ग्रेड-!! (सुप्र स्पेशलिस्टस्) (ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-!! (सुप्र स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त) 	पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये	-11

1	2	3
	(ग) स्पेशलिस्ट ग्रेड-!!!(i) स्पेशलिस्ट ग्रेड-!!! (सुपर स्पेशलिस्टस्)	पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600 रुपये
	(ii) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्टस् के अतिरिक्त)	पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 6,600 रुपये
2.	सामान्य द्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	
	(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	पे बैंड पीडी-4, 37400-67000 रुपये ग्रेड पे 8,700 रुपये
	(ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 रुपये
	(ग) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	में बैंड पौथी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेंड में 6,600 रुपये
	(घ) चिकित्सा अधिकारी	पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100 रुपये ग्रेड पे 5,600 रुपये
		क्यों अन्त्रेकों के अध्यक्त महत्त्व ।

गैर प्रैक्टिस भन्ते की दर्रे - कोन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्राष्ट्य ।

ा. स्नातकोत्तकर भत्ता/यात्रा भत्ता/शैक्षणिक भता - केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य ।

	अनुसूची-11		死 . H.	पदनाम पदों की संख
दिल	न्ती स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) की प्राधिकृत संख्या इयूटी पर		8	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय
क्र.सं 1. क	पदनाम पदों की सं पे बैंड के पीबी-4 में 37,400-67,000 रु. कुल पद- में सुपर टाइप ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 10,000 रुपये के ग्रेड पे सहित-		10 11	चिकित्सा अधीक्षक, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जनक पुरी परामश्रीदाता, लोक नायक अस्पताल
1	प्लवमान पद (फ्लोटिंग पोस्ट) अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक	_	12	चिकित्सा अधीक्षक, गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल परामर्शदाता, जी.बी. यन्त अस्पताल
2	अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक, अरूणा आसफ अली अस्पताल	1	14	चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी. पन्त अस्पताल
3.	चिकित्सा अधीक्षक, संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल	1	15 16	परामशंदाता, गुरू तेग बहादुर अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक, भगवान महावीर अस्पताल
4	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, गुरू तेग बहादुर अस्पताल	1	17	चिकित्सा अधीक्षक, एन.सी. जोशी अस्पताल अस्पताल
5 6	अतिरिक्त निरेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ निर्देशालव , सीडीएमओश्रम, स्वास्थ्य सेवाएँ निर्देशालय	9	18	अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल
7	चिकित्सा अधीक्षक, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	1	19	चिकित्सा अधीक्षक, टॉ. हैडगेवार आरोग्य संस्थान

1

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

क्र.सं.	पदनाम पदों व	ी संख्या	क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्य
20	चिकित्सा अधीक्षक, बाबा साहब अम्बेडकर	1	24	परिवार कल्याण निदेशालय	(17
ï	अस्पताल		25	गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल	20
21	चिकित्सा अधीक्षक, आचार्यश्री भिधु सरकारी	1	26	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय	16
	अस्पताल		27	सुश्रुत ट्रॉमा सैन्टर	13
22	चिकित्सा अधीक्षक, सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र	i	28	सरदार बल्लम भाई पटेल अस्पताल	2
	अस्पताल		29	शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य केन्द्र	03
23	चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि बाल्मोकी अस्पताल	1	30	दादा देव मातृ अस्पताल	12
24	चिकित्सा अधीक्षक, सरदार वल्लभ भाई पटेल	1	-		पदों की संख्य
	अस्पताल		क्र.सं	पदनाम	
25	चिकित्सा अधीक्षक, मालवीय नगर कॉलोनी	1	111.	जोडीएमओएस	1225
	अस्पताल		1	लोक नायक अस्पताल	53
¥.₹.	पदनाम पदों व	ती संख्या	2	अरूणा आसफ अली अस्पताल	24
			3	संजय गांधी मैनोरियल अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	3:
Π.	गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग	563	5	एन.सी. बोशी अस्पताल	06
1	लोक नायक अस्पताल	51	6	राव तुला राम अस्पताल	2:
2	अरूणा आसफ अली अस्पताल	27	7	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	21
3	संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल	29	8	बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल	
4	दोन दयाल उपाध्याय अस्पताल	50	9	जो.बी.पन्त अस्पताल	10
5	एन.सी. जोशो अस्पताल	8	10	गुरू तेग बहादुर अस्पताल	30
6	राव तुला राम अस्पताल	20	11	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	08
7	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	22	12	भगवान महाबीर अस्पताल	15
	बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल		13	डाँ हैडग्रेबार आरो ग्य संस्थान	. 16
8		21	14	सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल	15
9	जो.बी.पन्त अस्पताल	01	15	महर्षि बाल्मीकी अस्पताल	15
10	गुरू तेग बहादुर अस्पताल	21	16	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	15
11	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	-	17	मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	14
12	भगवान महाबीर अस्पताल	19	18	अतर सैन जैन नेत्र अस्पताल	04
13	डॉ हैडग्रेवार आरोग्य संस्थान	24	19	आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल	06
14	सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल	23	20	षावा साहब अम्बेडकर अस्पताल	33
15	महर्षि बाल्मीकी अस्पताल	18	21 22	जनक पुरी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल गुरू नानक नेत्र अस्पताल	O2 01
16	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	19	23	केन्द्रीय कारागर अस्पताल	70
17	मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	18	24	परिवार कल्याण निदेशालय	15
	अंतर सैन जैन नेत्र अस्पताल		25	मुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल	24
18		04	26	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय	592
19	आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल	21	27	सुश्रुत ट्रॉमा सैन्टर	05
20	वाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल	45	28	सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल	12
21	जनक पुरी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल	15	29	एम.ए.एम.सी.	06
22	गुरू नानक नेत्र अस्पताल	03	30	दादा देव मातृ अस्पताल	96
23	केन्द्रीय कारागार अस्पताल	12	31	राजीव गांधी एसएसएच	02

अनुसूची-III

भर्ती पद्धति, पदोन्नति हेतु चयन क्षेत्र तथा परवर्ती निचले ग्रेष्ठ में न्यूनतम अर्हक सेवा या दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप "क" ह्यूटी पदों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए न्यून ग्रेड ।

क्र.सं	पद का नाम	पदोनित के लिये	मर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र तथा पदोन्नित हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3		4
1_	गैर शैक्षणिक स्पेशलिस्ट. उप-संवर्ग	रिक्तियों की सभ्य पदीन्ति द्वारा, च		पदोन्नित
8	(क) सुपर टाइम ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड संशोधित पे वैंड पीबी-4,37,400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये संहित	*		14,300-18,300 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-4 में 8700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष ।
	(स) स्पेशिलस्ट ग्रेड (1) स्पेशिलस्ट ग्रेड-1 (क) स्पेशिलस्ट ग्रेड-1 (सुपर स्पेशिलटी) पे बैंड पीयी-4, 37,4000-67,000 ग्रेड मे 8700 रुपये सहित	वरिष्ठता एवं फिट रिक्तियों की सम्ब गैर चयन आधार शत प्रतिशत	द्धता के बिना	पदोन्नति 12,000-18,300 रुपये पृर्ध संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष ।
	्ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड-1 (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) पे बैंड पीबी-4, 37,4000- 67,000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये सहित।	वरिष्ठता एवं फिट रिक्तियों की सम्ब गैर चयन आधार शत प्रतिशत	द्धता के दिना	पदोन्निति 12,000-16,500 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये को ग्रेड में चार वर्ष ।
	(2) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (सुपर स्पेशलिटी) पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 7600 रुपये सहित	वरिष्ठता एवं फिट्ट रिक्तियों की सम्बद्ध गैर चयन आधार प शत प्रतिशत	द्वता के बिना	पदोन्नित 10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये को ग्रेड में दो वर्ष ।
	(ख) स्पेशलिस्ट ग्रेड -II (सुपर स्पेशलिटी के अतिरिक्त) पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड प 7600 रुपये सहित।	वरिष्ठता एवं फिटन रिक्तियों की सम्बद गैर चयन आधार प शत प्रतिशत	इता के बिना	पदोन्नित 10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित बेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष !
	(3) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (क) स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिस्टस्) पीबी-3,15,600-39,100 ग्रेड पे 6600 रुपए सहित	सीधी भर्ती द्वारा		भ ६ वष १ योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्यादि के लिये अनुसूची-V देखें
*	(ख) स्पेशिसस्ट ग्रेड -III (सुपर स्पेशिलटी के अतिरिक्त) पीबी-3, 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600 रुपये सहित ।	सीधी भर्ती द्वारा	M	योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्थादि के लिए अनुसूची-V देखें

87/12

क्र.सं. पद का नाम

पदोन्नति के लिये भर्ती पद्धति

चयन क्षेत्र तथा भदोन्नित हेतु न्युनसम् अर्हक सेवा

3

4

सामान्य इयुटी उप-संवर्ग पद

2

(क) सुपर टाइम ग्रैड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड संशोधित पे बैंड पीबी-4,37,400-67000 रुपये ग्रेड पे 10,000 रुपये सहित

रिक्तियों की सम्बद्धता के विना पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा

पदोन्नति

14,300-18,300 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-4 में 8700 रुपये के ग्रेड में सात वर्ष अथवा बीस वर्षों की नियमित सेवा।

(ख) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) पे बैंड पीबी-4, 37,4000-67,000 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये सहित। वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत

पदोन्नति

12,000-16,500 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष !

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीबी-3, 15,600-39,100 ग्रेड पे 7600 रुपये सहित वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत

पदोन्नति

10,000-15,200 रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा सहित पी बी-3 में 6600 रुपये के ग्रेड में दो वर्ष।

(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15, 600-39,100, ग्रेड पे 6600 रुपये सहित । वरिष्ठता एवं फिटनेस के अनुसार रिक्तियों की सम्बद्धता के बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा शत प्रतिशत

पदोन्नति

8,000-13,500 रुपये पूर्व संशोधित बेतनमान में की गई सेवा सहित भी बी-3 में 5400 रुपये के ग्रेड में चार वर्ष ।

(4) चिकित्सा अधिकारी पे बैंड पीबी-3, 15, 600-39,100 ग्रेड पे 5400 रुपये सहित। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निर्धारित आंयु सीमा, शिक्षण योग्यताएं तथा अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा प्रत्येक अवसर पर भर्ती का सही तरीका नियंत्रण प्रधिकारी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा

योग्यताओं, अनुभव तथा आयु सीमा इत्यादि के लिये अनुसूची-V देखें

अनुसूची-IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप 'क' पदों में पदोन्नति अथवा स्थायीकरण के मामलों के विचारार्थ ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

क. विभागीय पदोन्नति समिति

गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग पद

(क) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

(i) अध्यक्ष/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग

- अध्यक्ष

(ii) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सदस्य

(iii) प्रशासनिक सचिव- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- सदस्य

ख स्थायीकरण

(1) स्पेशलिस्ट ग्रेड- ॥।

(गैर शिक्षण स्पेशलिस्ट उप-संवर्ग)

(i) प्रशासनिक सचिव/विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -

25/6/15

(ii) सचिव, सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

(iii) डीन, मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेड

-सदस्य

(2) चिकित्सा अधिकारी (जी. डी. एम.ओ. उप-संवर्ग)

(i) विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

(iii) निरेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

-सदस्य

नोट-1. डायनमिक एसोर्ड कॅरियर प्रोग्रेसन स्कीम के अन्तर्गत किसी अधिकारी के लिये विभागीय पदोन्नित समिति पदोन्नित के लिये विभागीय पदोन्नित समिति जैसी होगी।

अनुसूची V दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के ग्रुप 'क' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अनुभव और आयु सीमा

		आर आर
1.	 स्पेशलिस्ट ग्रेड-III (सुपर स्पेशलिटी) (पे वैंड पीबी-3, 	45 वर्ष से अधिक नहीं
	15,600-39,100 ग्रेड पे 6,600 रुपये सहित)	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों
	1	के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

अनिवार्य :

अनिवार्य :

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की ग्रंथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-11 (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सिम्मिलित मान्यता प्राप्त एमवीबीएस योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-11 में सिम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की थारा (13) की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्ते भी पूरी करनी चाहिएं। (ii) अनुसूची-VI के भाग-क में उल्लिखित संबंधित सुपर विशेषज्ञता (स्पेशालिटी) में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष। (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सुपर विशेषज्ञता (स्पेशालिटी) में तीन वर्षों का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा लेने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव। नोट:- पांच वर्ष की डीएम/सोएच की योग्यताओं के धारकों द्वारा

Acres of the control of

45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-11 (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त एमबीबीएस योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-11 में सम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में अनुबंधित शर्ते भी पूरी करनी चाहिए।

उक्त डीएम/सीएच के अन्तिम माग में लगाई गई वरिष्ठ पीजी रेजोडेंसी की अवधि अनुभव की आवश्यकता में जोड़ी जाएगी ।

- (ii) अनुसूची -VI के भाग -क या ख में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष
- (iii) प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबॉधत विशेषज्ञता (स्पेशलिटी) में तीन वर्षों का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा लेने के पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव । नोट :-फिजिशियन (छाती तथा श्वसन रोग) के पद के लिये श्वसन प्रयोगशाला में तीन वर्षों का अनुभव अपेक्षित !

(2)

(3)

समान्य इयुटी उप-संवर्ग पद

चिकित्सा अधिकारी (में बैंड पीबी-3 15,600-39,100 रुपये के ग्रेड में 54,00 रुपये) 32 वर्ष से अधिक नहीं

अनिवार्य :

- (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 11 (इंगित योग्यताओं के अतिरिक्त) में सिम्मिलित मान्यताप्राप्त एमबीबीएस योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग 11 में सिम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में अनुबंधित शर्ते भी पूरी करनी चाहिए।
- (ii) अनिवार्य आवर्ती इन्टरनशिष पूर्ण करने वाले उम्मीदवार जो उम्मीदवार आवर्ती इन्टरनशिष पूर्ण नहीं कर सके वे लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे चिंद उनका चयन होता है तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व संतोषपूर्ण अनिवार्य आवर्ती इन्टरनशिष पूर्ण करनी होगी ।

टिप्पण 1:-आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वहीं होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्रान्त करने के लिए ऑतम तिथि होगी (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूगाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिविजन व अण्डनान निकोगर द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऑतम वारीख नहीं है)।

टिप्पण 2 :-अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संबं लांक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।

टिप्पण 3:- यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टिप्पण 4 :- लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की स्थिति में आयु-सीमा ज्ञात करने के लिए मान्य तिथि, उस वर्ष की पहली जनवरी होगी जिस वर्ष में परीक्षा हुई हैं।

टिप्पण 5 :- युनाईटिड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताएं केवल तभी मान्य होगी जब 11-11-1978 को या पहले प्रदान की गई।

अनुसूची VI

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में ग्रुप 'क' पदों की भर्ती के लिए मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यताओं की सूची

क्रम सं. विषय	भागक	ম্দ্ৰ-ভ	- 11
	अपेक्षित स्नातकोत्तर	अपेक्षित स्नातकोतः	डिप्लोमा योग्यत
	डिग्री योग्यता		
1.(क) अनैदानिक			
 जीव भौतिकी 	एम.डी. (जीव भौतिकी)		
	एम.एम.सी. (जीव भौतिकी)		
	एम.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान/जीव रसायन		
	विज्ञान) के साथ जीव भौतिकी में एक साल का प्रशिक्षण		

850/E 17

-	(1)	(2)	(3)	/
2.	विकृति विज्ञान	एम.डी. (विकृति विज्ञान)		
	The second secon	पी.एच.डी. (विकृति विज्ञान)	डीसीपी	
		डी.एस.सी. (विकृति विज्ञान)	डीपीबी	
3.	सूक्ष्म जीव विज्ञान/	एम.डी. (जीवाणु विज्ञान)	डी (जीवाणु विज्ञान)	
	जीवाणु विज्ञान	एम.डी. (सृक्ष्म जीव विज्ञान)/	डी.पी.बी.	
		एम.बी.बी.एस. के साथ एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान)		
		जीवाणु विज्ञान/एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान)		
		सूक्म जीव विज्ञान/पो.एच.डी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञा-	4)	
*		एम.एस.सी. (मैडिकल जीवाणु) के साथ	36	
1		डी.एस.सी. (मैडिकल जीवाणु) के साथ		
		एम.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ		
		पी.एच.डी. (मैंडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान)/		
		एम.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ		
	Market A. the according	डी.एस.सी. (मैडिकल सूक्ष्म जीव विज्ञान)		
		कारताता (ताक्यास सूच्य बाच विशाप)		
4	शरीर रचना विज्ञान	एम.एस. (शरीर रचना)	18.55	
		एम.एस.सी. (शरीर रचना)		
		एम,एस.सी. (मैडिकल शरीर रचना)		
1		पी.एच.डी. (शरीर रचना)		
		डी.एस.सी. (शरीर रचना)	140	
5.	शरीर क्रिया विज्ञान	एम.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान)		
100		एम.एस.सी. (शरीर क्रिया विज्ञान)	10	
S.		पी.एच.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान)		
		डी.एस.सी. (शरीर क्रिया विज्ञान)		
	जीव रसायन विज्ञान	A STATE OF THE STA		
C	जाव (साधन विशान	एम.डी. (जीव रसायन विज्ञान)		12
25		एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीव रसायन विज्ञान)		12
	1.00	पी.एच.डी. (जीव रसायन विज्ञान)		
		डो. एस.सी. (जीव रसायन विज्ञान)		
7.	भेषज गुण विज्ञान	एम.डी. (भेषज गुण विज्ञान)		
	-	एम.डी. (भेषज गुण विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान)		
	27	एम.एस.सी. (भेषज गुण विज्ञान)		
	(ख) नैदानिक			
100	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	7		
1.	सामान्य चिकित्सा	एम.डी. (चिकित्सा)/	1.52	
		एम.डी. (सामान्य चिकित्सा)		
2	न्याय आयुर्विज्ञान	एम.डी. (न्याय आयुर्विज्ञान)		
3.	विकिरण आयुर्विज्ञान	एम.डी. (विकिरण आयुर्विज्ञान)		
	idata andidati	एम.डी (रेडियो थैरेपो)		
			डी.आर.एम	
4.	बाल चिकित्सा विज्ञान	एम.डी. (बाल चिकित्सा) बाल चिकित्सा में डिप्लोमा	डी.सी.एच.	
5.	नैदानिक रूधिर विज्ञान	एम.डी. आयुर्विज्ञान/तिकृति विज्ञान में एम.डी. तथा रूधिर	विज्ञान में तीन साल का	अनुभव
6.	तपेदिक/श्वसन चिकित्सा	एम.डी. (तपेदिक)	दी.डी.डी.	
	फुप्फुस चिकित्सा	- एम.डी. (टीबी एवं श्वसन)/रोग	डी.टी.डी	
	200	TO COMPANY THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF TH	डी.टी.सी.डी	

alle

18		DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY		1PART
	(1)	(2)	(3)	[PARI
		एम.डी. (चिकित्सा) सहित टी.डी.डी., डी.टी.डी. या ही.टी.सी.डी./ एम.डी.(टीबी एवं चैस्ट डिसिस)	7,57	
	7. मनोविकित्सा	एम.डी. (भनोचिकित्सा) एम.डी. (फिजियोक्लोजिक्ल) (एम साल का कोर्स में	डीपीए <i>ः</i> डिसिन)	
	8	एम.डी. मेडिसिन में व फिजियोक्सोजिकल मेडिसिन में भनोचिकित्सा (एडिन) में डिन्सोमा दो साल का कोर्स मनोचिकित्सा में डिप्लोमा (एमसी.गिल) विश्वविद्यालय, मोनट्रियल, कनाडा से दो साल का कोर्स	डि प्लोमा	
	 वेनरियोलॉजी 	एम.डी. (वेनरियोलॉजी) एम.डी. (त्वचा विज्ञान एवं वेनरियोलॉजी) एम.डी. मेडिसिन के साथ वेनरियोलॉजी में डिप्लोमा	डो. बी.	
9	ে বেখা বিৱান	एम.डी. (त्वचा विज्ञान) एम.डी. (त्वचा विज्ञान व वेनरियोलॉजी) एम.डी. मेडिसिन के साथ त्वचा विज्ञान में डिप्लोमा	बी.डी.	
10.	त्वचा विज्ञान, वेनरियोलॉजी तथा कुष्ठ रोग	एम.डी. (त्वचा विज्ञान तथा वेनरियोलॉजी)/ एम.डी. (त्वचा विज्ञान, वेनरियोलॉजी तथा कुच्छ रोग्) एम.डी. (त्वचा विज्ञान)/ एम.डी. (त्वचा विज्ञान के साथ वेनरियोलॉजी) एम.डी. (त्वचा विज्ञान के साथ वेनरियोलॉजी तथा कुच्छ र एम.डी. (त्वचा विज्ञान के साथ वेनरियोलॉजी तथा कुच्छ र एम.डी. (मेडिसिन) के साथ डी.वी.डी. अथवा डी. डी.	डी.बी.डो., डी.डी.बी., डी.बी. तथा डी. रोग)	
H.	सामान्य सर्वरी	एम.एस. (सर्वरी) एम.एस. (स्रामान्य सर्वरी)		
12.	आँथों पेडिक्स	एम. एम (ऑथॉ)	હી. ऑથૉ	
13.	भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	एम.डी. (पीएम.आर)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ डिप्लोम एम.एस. (ऑथॉपेडिक्स) के साथ भौतिक आयुर्विज्ञान और का विशेष प्रशिक्षण या दो वर्ष का इस विषय में समरूप प्र संस्थान द्वारा स्वीकृत हो।	ा (पीएनआर)/एम एस. (सा	
14.	नेत्र विज्ञान	एम.एस. (नेत्र विज्ञान) एम.डी. (नेत्र विज्ञान)	હી.ઓ.	
15.	कान-नाक-गला विज्ञान	एम.एस. (कान-नाक-गला विज्ञान)	डी.ओ. एम एस डी.आई.ओ.	
6.	प्रसृति विज्ञान और स्त्रो शेग विज्ञान	एम.डी. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान) ः ः । । ।	डी.ओ.आर.इस. डी.जी.ओ	
7.	प्रसृदि और बाल स्वास्थ्य	ਵੀ.ਸੀ.ਪੁਰ /ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਤਾਵਾ →	डी.एम _् सी. डक्ल्यू	

PART	iv]	DELHI GAZETTE : EXTRAORD	INARY 15
	(1)	(2)	(3)
14.0		एम. डो.	
		एम.आर.सी.ओ.जी.	
		एम.डो. (एसपीएम)	
		एम.डी. (सामुदायिक चिकित्सा)	
		एम.एन.ए.एम.एस. (एकीकृत एमसीएच)	
		प्रसृति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान विशेवज्ञत	। बोर्ड (यूएसए)
18.	विकिरण निदान	एम.डी. (विकिरण निदान)	दी.एम.आर.हो.
		एम.डी. (विकिरण)	या
		एम. एस. (विकिरण)	एक साल की अवधि का समहुल्य
			डिप्लोमा
19.	विकिरण चिकित्सा विज्ञान	एम.डी. (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)	
	and the state of t	एम.डी. (विकिरण विज्ञान)	डी.ए६.आर.टी.
		एम, एस. (विकिरण विज्ञान)	या
			एक साल का समतुल्य डिप्लोमा
		नोट : जिन व्यक्तियों ने 1985 से पूर्व विकित	एप विज्ञान में एम.डी. या विकिरण विज्ञान में डिप्लोमा
		किया है व भी विकिरण निदान और विकिरण	चिकित्सा विज्ञान में पदों के लिये आवेदन करने के पात्र
	%	होंगे ।	
. 20	निश्चेतन विज्ञान	एम. डी. (निरचेतन विज्ञान)/	-2
2 32		एम. एस. (निश्चेतन विज्ञान)	डी,ए.
21.	छाती/श्वसन रोग	. एम.डी. स्वसन रोग एंड डी.बी.ओ. नेशनल बो	ार्ड से डिप्लोमा (श्वसन रोग)
22.	न्यूक्लीयर आयुर्विज्ञान	न्यूक्तायर आयुवज्ञान में अनुभव/एम.डॉ. (चिकि (चिकित्सा) के साथ डॉ.आर.एम. या डॉ.एन.ए प्राप्त सैन्टर से/न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो साल	(रेडियो-थैरेपी) के साथ किसी मान्यता प्राप्त सैन्टर में त्सा) न्यूक्लीयर मेडिसिन में दो साल का अनुभव/एम.डी. एम./एम.डी. (विकिरण निदान) के साथ किसी मान्यता- का अनुभव/एम.डी. (जैव भौतिक) या जैव भौतिकी में एम या डीएनडी न्यूक्लीयर मेडिसिन में किसी मान्यता का अनुभव ।
23.	पोषण (न्यूट्रीशन)	एम.डी. (जैव रसायन)/फिजियोलॉजी/पैथोल	गॅजी/मेडिसिन/सामाजिक एवं प्रतिरोधी (प्रिवेनटिव) के साथ अनुप्रयुक्त पोषण में एक वर्षीय विशोष
24.	भानवीय मेटाबॉलजीम	एम.डी. (अंतसाव विज्ञान) या एम. डी. (मेडिरि में दो साल का विशेष प्रशिक्षण ।	सेन)/एम.डी. (पीडिऐटरिक्स) के साथ अंतस्राव विज्ञान
25.	इम्यूनो हेमाटॉलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन	डी.एम. (इम्यूनोलॉजी) या एमडी (इम्यूनो हेमा बैकट्टियोलॉजी या हैमाटॉलॉजी) के साथ दो वा ब्लड ट्रॉसफ्यूजन विभाग में विशेष प्रशिक्षण।	टॉलॉजो एंड ब्लड ट्रांसप्यूजन)/एम.डी. (पैथोलॉजी या घींय अध्यापन अनुभव अथवा इम्यूनो हेमाटॉलॉजी एंड
26.	मेडिसन जेनेटिक्स	डी.एम. (मेडिसन जेनेटिक्स)/एम.डी. (मेडिस (बाल विज्ञान) एवं एम.डी. (आब्सट एंड गाइ प्रशिक्षण ।	न जेनेटिक्स) एम.डी. (सामान्य भेडिसन) एवं एम.डी. नि) के साथ मेडिसन जेनेटिक्स में दो वर्ष का विशेष
27.	फैमिली मेडिसिन	एम.डी. (फॅमिली मेडिसिन)/एमडी (सामान्य र	नेडिसिन)
28.	विमानन मेडिसिन/एरोस्पेस मेडिसिन	एम.डी. (विमानन मेडिशिन)/ एम.डी. (एरोस्पे	
29.	जराचिकित्सा	एम.डी. (फैंपिली मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य	ਸੇਤਿਸਿਰ\/ਰੁਸ਼ ਵੀ (ਕੁਸ਼ਰਿਤਿਕਰ)

	(1)	(2)	
30.	स्वास्थ्य प्रशासन	एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)/एम.डी. (अस्पताल प्रशासन)/एम.डो. (सभुदाय स्वास्थ्य प्रशासन)	
31.	अस्पताल द्रशासन	एम.डी. (अस्पताल प्रशासन)/ एम.डी. (समुदाय स्थास्थ्य प्रशासन)/ एम.डी. (स्वास्थ्य प्रशासन)	
32.	स्पाटसं मेडिसन .	एम.डी. (स्पोटर्स मेडिसिन)/ एम.डी. (ऑस्थोपेडिक्स)/एम.डी. (भौतिक अपूर्विज्ञान एवं पुनर्वास)एम.डी. (फिजियोलॉजो) के साथ दो साल का स्पोटर्स मेडिसिन अनुभव ।	
33.	ट्रोपिकल मेडिसिन	एम.डी. (ट्रोपिकल मेडिसिन)/एम.डी. (सामान्य मेडिसिन)/एम.डी. (नाहक्रोबायोलॉजी)तथा दो वर् का क्लीनिकल मेडिसिन अनुभव ।	
34.	रूमटोलॉओ	एम.डी. (रूमटोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ रूमटोलॉजी/इम्यूनोलॉजी में दो वर्ष का अनुपर	
35.	स्वास्थ्य शिक्षा	एम.डी. (सोशल एंड प्रिवे मेडिसिन)/एम.डी. (समुदाय मेडिसिन)/एम.डो. (स्वास्थ्य प्रशासन)	
36.	नौसैनिक मेडिसिन	एम.डी. (फिजियोलॉजो)/एम.डी. (मेडिसिन) तथा नौसैनिक मेडिसिन में दो साल का विशेष प्रशिक्ष	
37.	व्यवासियक स्वास्थ्य	एम.डी. (मनोरोग)/एम.डी. (भौतिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास)/एम.एस. (ऑरथोपेंडिक्स)	
38.	रेडियोलॉजिकल भौतिकी	एम.एससौ (भौ/कैमि./बायोफिजिक्स) के साथ पीएच.डी. (भौ/रसायन/बायोफिजिक्स)	
39.	विगेलांजी	एम.डी. (माइक्रोबॉयोलॉजी)/एम.डी. (पैथोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) के साथ विरोलॉजी मे दो वर्ष क विशेष प्रशिक्षण/एम.एस.सी. (मेडिकल विरोलॉजी) के साथ विरोलॉजी में पो.एच.डी.	
	(ग) अतिरिक्त विशेषज्ञता	*	
1.	जठरांत्र रोग विज्ञान	डी.एम. (जठरांत्र रोग विज्ञान)/डी.एम. (जठरांत्र रोग)/एम.डी. (मेडिसिन) था एम.डी. (पीडिएट्रिक्स) व साथ जठरांत्र रोग में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
2	तंत्रिका विसान	डी.एम. (तोंत्रेका विज्ञान)	
3.	अंत:स्त्राविकी	डी.एम. (अंत:स्त्राविकी)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पीडिएट्विस) को साथ अंत:स्त्राविकी में द वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
4.	हृदय रोग विज्ञान	डी.एम. (इदय रोग विज्ञान)	
2	वृक्क रचना विज्ञान	डी.एस. (वृक्क रचना विज्ञान)	
6.	प्लास्टिक सर्जरी एवं रिकसट्रेक्टिव सर्जरी	एम.सी.एच. (प्लास्टिफ सर्जरी) एम.सी.एच. (प्लास्टिक एण्ड ऋंसट्रेक्टिण सर्जरी)	
7.	थोरासिस सर्जरी	एम.सी.एच. (थोरासिस सर्जरी) या स्पेशलिटी बोर्ड से थॉरिसिस सर्जरी (यू.एस.ए.)	
8.	तंत्रिका शल्य विज्ञान	एम.सी.एच. (त्रिका शल्य विज्ञान)	
G.	बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान	एम. सी.एच. (बाल शल्य चिकित्सा विज्ञान)	
10.	मूत्र रोग विज्ञान	एम.सी.एच. (मूत्र रोग विज्ञान)	
11.	हरव वक्षीय शल्य विज्ञान	एम.सी.एच. (इदय वक्षीय शल्य विज्ञान)/ एम.सी.एच. (धॉरेसिक सर्जरी) या स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ धॉरेसिक सर्जरी (यू.एस.ए.)	
12.	बटर आन्त्र शल्य चिकित्सा	एम.सी.एच. (जहर आन्त्र शस्य चिकित्सा)/एम.एस. (सामान्य सर्जरी) के साथ जहर आन्त्र शस्य चिकित्सा विभाग में दो वर्ष को विशेष प्रशिक्षण सहित	
13.	केंसर शल्य चिकित्सा	एम.सी.एच. (केंसर सर्वरी/शल्य चिकित्सा ऑन्फोलॉजी)	
14.	कॉरडियो थसकूलर एंड थॉरेसिस सर्वरी	एम.सी.एच. (कॉरडियो वसकृतर एंड थॉरिसस सर्जरी)/एम.सी.एच. (थॉरिसस सजेरी)/एम.सी.एच. (थॉरिसस सजेरी)/एम.सी.एच.	
15.	नीऑनेटलॉजो	डी.एम. (मीऑनेटलॉजी)/एमडी (पीडिऐट्रिक्स) के साथ नीऑनेटलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	
16.	क्लिनिकल हेमटोलॉजी	डी.एम. (बिलनिकल हेमटोलॉजी) एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (पीडिएट्स्किस) या एम.डी. (पैथोलॉजी) के साथ बिलनिकल हेमटोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण	

(1)

(2)

- क्लिनिकल फॉरमाकालॉजी
- ही.एम. (क्लिनिकल फाँरमाकालाँजी) एम.डी. (फाँरमाकोलाँजो) के साथ क्लिनिकल फाँरमाकोलाँजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- इम्युनलॉजी (प्रतिरक्षा विज्ञान)
- डो.एम. (इम्युनलॉजो प्रतिरक्षा विज्ञान)/एम.डो. (मेडिसिन) या एम.डो. (पैथोलॉजी) या एम.डो. (सूक्ष्म जैविको) या एम.डो. (पीडिएट्रिक्स) के साथ इम्युनलॉजी (प्रतिरक्षा विज्ञान) में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- ा ।9. : मेडिकल जेनिटियस
- डी.एम. (सेडिकल जेनिटिक्स)/एम.डी. (पीडिऐट्रिक्स) या एम.डी. (मेडिसिन) या एम.एस. (अनाटॉमी) के साथ मेडिकल जेनिटिक्स में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- 20 मेडिकल ऑनकोलॉजी
- डी.एम. (मंडिकल ऑनकोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) या एम.डी. (रेडियो थैरोपी) या एम.डी. (मेडिएर्रिक्स) के साथ मेडिकल ऑनकोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- 2 सिजिकल गैसट्टाइनटरोलॉओ
- एम.सीएचं (सर्जिकल गैसर्ट्राइनटेरोलॉजी)/एम.एस (सर्जरी) के साथ सर्जिकल गैसट्रोइनटेरोलॉजी में दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण
- भेद्र सर्विकृत अनिकाली वी
- एम.सी.एस.(सर्जिकल ऑनकोलॉजी)/ एम.एस. (सर्जरी) या एम.एस. (ईएनटी) या एम.एस. (ऑर्थ्नोपेडिक्स) या एम.डी. (प्रसृति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के साथ सर्जिकल ऑनकोलॉजी में दो. वर्ष का विशेष प्रशिक्षण

टीप-1 आल दी रॉयल कॉलेज आफ यूके द्वारा तथा रॉयल कॉलेज आफ यूके की फैलोशिप तथा कनाड़ा के रॉयल कॉलेज की फैलोशिप एमआरसीपी/एफआरसीपी, एफआरसीएस डिप्लोमा या सदस्यता तथा फैलोशिप का उल्लेख करती है।

टीप-2 यूएसए की योग्यताओं संबंधी विशेषज्ञता बोर्ड के धारकों को संबंध बोर्ड की समृची अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

टीप-3 जहां तक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा यांग्यता का संबंध है, उन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय चिकित्सा परिवद् नियम, 1956 की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए।

टीप-4 मेडिकल विज्ञान एमएएमएस का सदस्य अकादमी

(i) यह योग्यता पूर्वोक्त की भाँति मान्य चिकित्सा योग्यता होगी जब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा संचालित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 01 अप्रैल, 1976 को या बाद में (चाहे उक्त तिथि के पहले हो या बाद में) प्रदान की गई है और न कि जबकि मानद डिग्री के रूप में प्रदान की गई हो।

एम.ए.एम.एस. (शारीरिक विज्ञान)

एम.ए.एम.एस. (सामान्य सर्जरी)

एम.ए.एम.एस. (सामान्य मेडिसिन)

एम.ए,एम.एस. (अब्ट एण्ड गाईनी)

एम.ए.एम.एस. (ऑफ्थ.)

एम.ए.एम.एस. (सामाजिक एवं प्रतिरोधी मेडिसिन)

एम.ए.एम.एस. (भनोचिकित्सा)

नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंस की सदस्यता

एम.एन.ए.एम.एस. (शारीरिक विज्ञान)

एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य मेडिसिन)

एम.एन.ए.एम.एस. (सामान्य सर्जरी)

एम.एन.ए.एम.एस. (आब्ट एण्ड गाइनी)

एम.एन.ए.एम.एस. (सामाजिक एवं प्रतिरोधी मेडिसिन)

PART IV

(1)

(2)

एम.एन.ए.एम.एस. (भनोचिकित्सा)

एम.एन.ए,एम.एस. (ऑपथलॉमोलॉजी)

ये योग्यताएं पूर्वोक्त की मांति मान्य चिकित्सा योग्यताएं होंगी यदि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा संचालित (उक्त तिथि से पहले या बाद) संचालित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर 3 अप्रैल, 1977 को या बाद में दी गई है और न कि जब कोई मानद ढिग्री प्रदान की गई है।

एम.एन.ए.एम.एस. (रेडियो निदान)

एम.एन.ए,एम.एस. (रेडियो थेरॉपी)

एम.एन.ए.एम.एस. (स्वास्थ्य प्रशासन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से दथा उनके नाम पर.

दिवान चन्द, अतिरिक्त सचिव

टीप-4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 29-8-1978 की अधिसूचना संख्या-वी-110015/12/78-एम ई (पॉलिसी) के अनुसार यूनाइटिड किंगडम में प्रदान की गई योग्यताएं केवल मान्य चिकित्सा योग्यताएं होंगी जो कि 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की हों।

टीय-5 समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर योग्यताओं के समकक्ष योग्यताओं के धारक सम्बद्ध विषय में अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता होने के लिये विचारणीय होंगे ।

टीप-6 पांच वर्ष को डीएम/एम.सी.एच. के धारकों को स्थिति को छोड़कर सुपर विशेषज्ञताओं (एम. सो.एच./डी.एम.) में योग्यताओं की स्थिति में धारक के पास एम.डी. मेडिसिन या एमएस सामान्य (शल्य चिकित्सा) या स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षा में उक्त परिषद् ने अपनी सिफारिशों द्वारा यथानिर्धारित कोई समकक्ष योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिएं।

टीप-7 यह सूची व्यापक नहीं है । नियंत्रक अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके भग (क), (ख), (ग) या (घ) में कोई अन्य योग्यताएं समनुदेशित करने को शक्ति होगी ।

No. F. 70/49/2006/H&FW/PF.-IV/9192.— In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S) dtd. 24-9-68, the Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following rules regulating the terms and conditions of Delhi Health Service (Allopathy) namely:—

- Short title and commencement —(1) These rules may be called the Delhi Health Service (Allopathy) Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
 - (b) "Controlling Authority" means the Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi;
 - (c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the Service;
 - (d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;
 - (e) "Government" means Lt. Governor of Delhi;
 - (f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-1;
 - (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (h) "Service" means the Delhi Health Service(Allopathy);
 - (i) "Sub Cadre" means any of the two streams of the Service, namely, General Duty and Non-teaching Specialist as the case may be.
- Composition of the Service.—All duty posts included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group "A" and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

- Authorized strength of the Service.— (1) The authorized strength of the duty posts included in the various
 grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.
- (2) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government.
- (3) The Government may make temporary addition to, or reduction, in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.
- (4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.
- (5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service, in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.
- (6) Upto 10% of the total number of posts in each sub-cadre (excluding SAG posts) shall be included in the service as training/leave/deputation reserve.
- (7) In the General Duty Medical Officer (GDMO) Subcadre Medical Officer (Grade Pay Rs. 5400 on PB 3) who has rendered 4 years service in the Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500 shall be eligible to be promoted to Senior Medical Officer (Grade Pay Rs. 6,600 in PB-3). Senior Medical Officer with 5 (five) years of regular service as Senior Medical Officer in the Grade Pay of Rs. 6,600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000 15,200 shall be eligible to be promoted to the post of Chief Medical Officer (Grade pay Rs. 7,600 in PB-3). A Chief Medical Officer in the Grade Pay of Rs. 7,600 in PB-3 with 4 (four) years in Chief Medical Officer grade including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500. shall be eligible to be promoted to the post of Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade -Grade Pay Rs. 8700 in PB-4). Thereafter, a CMO (N FSG) who has rendered 7 years service in the Grade Pay of Rs. 8700 in PB-4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300 or 20 years of regular service shall be eligible for promotion to the SAG Grade with Grade Pay Rs. 10,000 in PB-4. The promotions from the scale of Medical Officer to SAG Grade shall be without linkage to vacancies.

A Non Teaching Specialist Grade III in the Grade Pay of Rs. 6,600 in PB-3 with 2 years regular service in that grade, including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200 shall be eligible to be promoted to Specialist Officer Grade II of the non teaching sub-cadre in the Grade Pay of Rs. 7,600 in PB-3. A non-teaching Specialist Grade II with 4 years regular service in that grade including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12,000-16,500 shall be eligible to be promoted to non-teaching Specialist Grade I in the Grade Pay of Rs. 8,700 in PB-4. Further, a non teaching Specialist Grade I with 7 years regular service in that grade/PB including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300 shall be eligible to be promoted to the SAG grade with Grade Pay Rs. 10,000 in PB-4. Promotion from the non-teaching Specialist Gr. III to the level of SAG grade shall be without linkage to vacancies.

- 5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be members of the Service, namely :-
 - (a) Persons appointed under sub-rule (5) of rule 4.
 - (b) Persons appointed to duty posts under rule 6, and
 - (c) Persons appointed to duty posts under rule 7.
- (2) A person, appointed under clause (b) of the Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.
- (3) A person appointed under clause (c) of Sub-rule (1) shall be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.
- 6. Initial Constitution of the Service.—(1) All the officers appointed under the Central Health Service Rules. 1996, who are working in the Government of NCT of Delhi as on the date of publication of these rules in the Official Gazette and who opt to be part of this service shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.
- (2) All officers appointed on contract basis/ad-hoc basis on or before 18th December, 2006, i.e the date of issue of the Government of Delhi's O.M. No. F.70/49/2006/H&FW/SSHFW 463-475 dated 18th December, 2006, on the basis of their suitability as assessed by the Commission and requisite educational qualifications and experience prescribed for the post and being found fit, shall be deemed to have been appointed under these

Rules and assigned to the Sub-Cadre of General Duty Medical Officers or Non-teaching Specialists, as the case may be, and they shall be members of the Service at the entry level of the respective Sub-Cadre at the initial constitution stage.

- Maintenance of Service.—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the
 manner as hereinafter provided under these rules.
- (2) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades as the case may be, for appointment or promotion to the posts in the respective Sub-Cadres and specialities within the Sub-Cadre concerned, included in the Service shall be as specified in Schedule-111.
- (3) (i) The Departmental promotions shall be confined to officers of the respective Sub-Cadres.
 - (ii) The departmental promotions to higher posts in the respective Sub-Cadres shall be made on the basis of selection from among the officers of the service in the immediate lower grade or lower grades, as the case may be, in the respective Sub-Cadres on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as at Schedule-IV.
- (4) (a) The minimum educational and other qualifications, experience and age limit for appointment to various duty posts in the service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.
 - (b) The direct recruitment to posts belonging to Super-Specialities specified in Schedule VI for which minimum essential qualification is Doctor of Medicine (D.M.) or Magister Chirurguie (M.Ch.) or equivalent shall be made in the scale carrying Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3(pre-revised scale of 10,000-15,200).
 - (c) The recognized post-graduate qualifications shall be as specified in Schedule-VI.
- Note: (i) The post of Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (NFSG). and SAG in the General Duty Medical Officer Sub-cadre, and the post of Specialist Grade III, Specialist Grade I and SAG in the Non-Teaching Sub-cadres, are interchangeable within the respective Sub-Cadres for the purpose of promotion.
 - (ii) Promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies upto the level of SAG.
- 8. Filing of Duty Posts by Deputation (including short term contract):—(1) Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing, fill not more than five percent duty posts, in the grades of Medical Officer in the General Duty Sub-Cadre and Specialist Grade III in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre by transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government (including Ministries of Railways and Defense)/State Government/Union Territories or by short term contract of suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-Government organ izations, Universities or recognized Research Institutions in Consultation with the Commission:

Provided that with regard to the posts filled up on deputation it shall be open for the Government, in consultation with the Commission, to consider appointment on absorption basis only in the Non-Teaching Specialists sub-cadre.

- (2) The period of deputation or contract shall ordinarily not exceed three years, which may, in special circumstances be extended up to five years, as the Government may think fit.
- (3) For appointment to duty posts on deputation or absorption basis, the officer shall, among others, fulfill the minimum educational and other qualifications prescribed for the posts in Schodule -V to these rules
- 9. Seniority:.—(1) The relative seniority of members of the service appointed to a grade in the respective sub-cadres or in the respective speciality of the sub-cadre of the Service, as the case may be, at the time of initial constitution of the service under rule 6(1), shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such members had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were

15/6

applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules or in consultation with the Commission as the case may be.

- (2) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6(1) shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.
- (3) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 4 shall be fixed in the manner provided therein.
- (4) The protection, if any accorded in towards increments drawn by the doctors who worked on contract adhoc basis prior to placement at the initial constitution stage shall not be taken into account for determining the length of service or seniority for consideration for promotion on time scale basis subsequent to their placement at the initial constitution stage.
- 10. Probation .—(1) Every officer except for those appointed as part of the initial constitution, appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government of India.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.
- Appointment to the Service.—All appointments to the service on the basis of direct recruitment and deputation (including short term contract)/absorption to the Service shall be made by the Controlling Authority in consultation with the Commission.
- Posting.—Officers appointed to the Service shall be liable to serve in any institution of the Government of NCT of Delhi.
- Prohibition of Private practice. —(1) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice
 of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.
 - (2) Such persons shall, however, be entitled to a Non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.
- 14. Pension & other conditions of service.—(!) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.
 - (2) (a) Officers appointed under Sub-rule (1) of Rule 6, prior to 1-1-2004, before the commencement of these Rules, shall be governed by the CCS (Pension) Rules, 1972.
 - (b) Officers appointed under Sub-rule (1) of Rule 6, after 1-1-2004, shall be governed by the new Pensions Scheme.



- (c) Officers appointed under Sub-rule (2) of Rule 6 will be governed by the new Pensions Scheme applicable after 1-1-2004.
- Disqualification.—No person shall be eligible for appointment to the Service.
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing. exempt any person from the operation of this rule.
- . 16. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 17. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
- 18. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE:

Grade Scales of Pay and Non-Practicing Allowance etc. of Group-A Posts included in the Delhi Health Service I-Grades and Scales of Pay

	Service 1-Grades and	Scales of Pay
SI. No.	Grade	Scale of Pay
1.	Supertime Grade	
2.	Specialist Grade (Non-Teaching)	Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 10,000
	(a) Specialist Grade-I	
	(i) Specialist Grade-I (Super Specialities)	Pay Band PB-4 Re 32 400 62 000 C
	(ii) Specialist Grade-I (Other than super Specialities)	Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700
	(b) Specialist Grade-II	Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700
	(i) Specialist Grade-II (Super Specilities)	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 7,600
(ii) Specialist Grade-II (Other than Super Specialitic(c) Specialist Grade-III	(ii) Specialist Grade-II (Other than Super Specialities)	
	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 7,600	
	(i) Specialist Grade-III (Super Specialities)	Pay Rand PR. 2 Dr. 15 420 20 100 0
(ii) Specialist Grade-III (Other than Super Specialities)		Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade pay 6,600
3. Gen	eral Duty Medical Officers' Grade:	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay 6,600
	(a) Chief Medical Officer (Non-Punctional Selection Grade)	Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 Grade Pay Rs. 8,700
	(b) Chief Medical Officer	Pau Rand DD 2 D. 15 Con an and
	(c) Senior Medical Officer	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 7,600
	(d) Medical Officer	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600
	s of Non-Practicing AllowanceAdmissible as pment.	Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 5,400 per orders issued from time to time by the Central
111 75		

III-Post Graduate Allowance/conveyance allowance/academic allowance.........Admissible as per orders issued from

	À	0		
4	30	1	1	7
- 91	1		_	

SCHEDULE-II Authorized strength of Delhi Health Service (Allopathy) DUTY POSTS

S. No	Guanon	No. of Posts
LA	Super time Grade/Senior Administra- tive Grade in the Pay Band of PB-4 Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000-Floating Posts	Total Posts-36
1.	Addl. MS, Lok Nayak Hospital	- 1
	MS. Aruna Asaf Ali Hospital	1
3.	MS. Sanjay Gandhi Memorial Hospital	1
4.	Addl. MS. Guru Teg Bahadur Hospital	1
5.	Addl. Director, Dte. of Health Services	ī
6.	CDMOs, Directorate of Health Services	9
7.	MS, Deen Dayal Upadhyay Hospital	1
8.	Director, Health Services	1
9.	Director, Dte. of Family Welfare	1
10.	MS, Super Speciality Hospital, Janak Pur	i 1
11. (Consultant, Lok Nayak Hospital	3
12. 1	MS, Guru Gobind Singh Hospital	1
13. (Consultant, G.B.Pant Hospital	1
14. h	MS, G.B.Pant Hospital	1
15. (onsultant, Guru Teg Bahadur Hospital	1
16. N	AS, Bhagwan Mahavir Hospital	1
17. N	AS, N.C.Joshi Hospital	1.
8. A	ddl. MS, Deen Dayal Upadhyay Hospita	1 2
9. N	IS, Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	1
0. N	IS, Baba Saheb Ambedkar Hospital	1
1. M	IS, Acharyashree Bhikshu Govt. Hospital	1
2. N	IS, Satyawadi Raja Harishchandra Hospit	al I
3. M	S, Mahrishi Balmiki Hospital	1
	S, Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	. 1
5. M	S, Malviya Nagar Colony Hospital	1

. Designation	No. of Posts
Non-Teaching Specialist Sub-Cadre	563
	51
Aruna Asaf Ali Hospital	27
Sanjay Gandhi Memorial Hospital	29
	50
N.C.Joshi Hospital	8
Rao Tula Ram Hospital	20
Lal Bahadur Shastri Hospital	22
200 (1)	21
G.B.Pant Hospital	01
	Non-Teaching Specialist Sub-Cadre Lok Nayak Hospital Aruna Asaf Ali Hospital Sanjay Gandhi Memorial Hospital Deen Dayal Upadhyay Hospital N.C. Joshi Hospital Rao Tula Ram Hospital Lal Bahadur Shastri Hospital Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital G.B. Pant Hospital

Guru Teg Bahadur Hospital	21
11. Chacha Nehru Bal Chikitsalaya	775% 113 - 53
Bhagwan Mahavir Hospital	19
13. Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	24
 Satyawadi Raja Harish Chandra Ho 	spital 23
Maharishi Balmiki Hospital	-[8
16. Jag Pravesh Chand Hospital	19
17. Malviya Nagar Colony Hospital	18
18. Atter Sen Jain Eye Hospital	04
Acharya Shree Bhikshu Hospital	21
 Baba Saheb Ambedkar Hospital 	45
21. Janak Puri Super Speciality Hospital	15
22. Guru Nanak Eye Centre	03
23. Central Jail Hospital	12
24. Dte. of Family Welfare	07
25. Guru Gobind Singh Hospital	20
26. Dte. of Health Services	16
27. Sushruta Trauma Centre	13
28. Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	21
29. Child & Maternity-Cum-Health Centr	
30. Dada Dev Maitri Hospital	12

S.No	Designation .	No.of Posts
ML.	GDMOs	1225
I.	Lok Nayak Hospital	53
2.	Aruna Asaf Ali Hospital	24
3.	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	33
4.		81
5.	N.C.Joshi Hospital	06
6.	Rao Tula Ram Hospital	25
7.	Lal Bahadur Shastri Hospital	28
	Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital	28
	G.B.Pant Hospital	16
10.	Guru Teg Bahadur Hospital	30
	Chacha Nehru Bal Chikitsalaya	08
	Bhagwan Mahavir Hospital	15
13.	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	16
	Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	
15.	Maharishi Balmiki Hospital	19
	Jag Pravesh Chand Hospital	15
	Malviya Nagar Colony Hospital	14
	Atter Sen Jain Eye Hospital	04
	Acharya Shree Bhikshu Hospital	08

-	DE	LHI GAZETTE	EXTRAORDINARY	[PART IV
20.	Baba Saheb Ambedkar Hospital	33	26. Dte. of Health Services	592
21.	Janak Puri Speciality Hospital	02	27. Sushruta Trauma Centre	09
22,	Guru Nanak Eye Centre	01	28. Surdar Vallabh Bhai Patel Hospitai	12
23.	Central Jail Hospital	76	29. MAMC	09
24.	Dte of Family Welfare	15	30. Dada Dev Maitri Hospital	08
35.	Guru Gobind Singh Hospital	24	3). Rajiv Gandhi SSH	02

SCHEDULE-III

The method of recruitment, field of selection for promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades for appointment or promotion of officers to Group 'A' duty posts in the Delhi Health Service.

SI. No.	Name of the Post	Method of recruitment for promotion	Field of Selection and Minimum qualifying service
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-Teaching Specialist sub-cadre (a) Super time Grade/Senior Adminis- trative grade Revised Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000	By promotion by Selection without linkage to vacancies	Promotion: 7 years in Grade Pay of Rs.8700 in PB-4 including service rendered in the pre- revised scale of Rs.14,300- 18,300.
	(b) Specialist Grade (1) Specialist Grade-I (a) Specialist Grade-I (Super Specialities) Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700.	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	Promotion: 4 years in Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 including service rendered in the pre- revised scale of Rs.12,000- 16,500.
	(b) Specialist Grade-I (Other than Super Specialities) Pay Band PB-4, Rs.37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700.	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	Promotion: 4 years in Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 including service rendered in the pre- revised scale of Rs.12,000- 16,500.
	(2) Specialist Grade-II (a) Specialist Grade-II (Super-Specialises). PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,500	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	Promotion: 2 years in Grade Pay of Rs.6600 in PB-3 including service rendered in the pre- revised scale of Rs.10,000- 15,200.
1	(b) Specialist Grade-II (Other than Super Specialities) PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,600	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	Promotion: 2 years in Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre- revised scale of Rs. 10,000- 15,200.
1	(3) Specialist Grade-III (a) Specialist Grade-III (Super- Specialities)	By direct recruitment	See Schedule-V for qualifications, experience an age limits etc.

(I)

(3)

PB-3, Rs.15,600-39,100 with Grade Pay Rs.6,600 (b) Specialist Grade-III (other than Super Specialities) Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600

By direct recruitment

See Schedule-V for qualifications, experience and age limits etc.

1. General Duty Sub-cadre posts

(a) Super-time Grade/Senior Adminis- By promotion by Selection without trative Grade Revised Pay Band PB-4, linkage to vacancies Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000

Promotion:

7 years in Grade Pay of Rs.8700 in PB-4 including service rendered in the prerevised scale of Rs.14,300-18,300, or 20 years of regular service.

(b) Medical Officer Grade

1. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) Pay Band PB-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 8,700

100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.

4 years in Grade Pay of Rs.7500 in PB-3 including service rendered in the prerevised scale of Rs.12,000-16,500.

(2) Chief Medical Officer PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 7,600

100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.

Promotion:

5 years in Grade Pay of Rs.6600 in PB-3 including service rendered in the prerevised scale of Rs.10,000-15,200.

(3) Senior Medical Officer Pay Band PB-3. Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 6,600

100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.

Promotion:

4 years in Grade Pay of Rs.5400 in PB-3 including service rendered in the prerevised scale of Rs. 8,000-13,500.

(4) Medical Officer Pay Band PB-3, Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay Rs. 5,400

By direct recruitment on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service Commission only in accordance with age limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.

The exact method of recruitment to be followed shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion.

See Schedule V for qualification, experience and age limit, etc.

SCHEDULE-IV

GROUP 'A' Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' posts in the Delhi Health Service.

A.	A	DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE	
Ĺ	L	NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE POSTS	
	(a)	SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE	
	(i)	Chairman/Member, UPSC	—Chairman
	(ii)	Chief Secretary, Government of N.C.T. of Delhi	Member
	(iii)	Administrative Secretary, Health & Pamily Welfare Department, Government of NCT of Delhi	—Member
	(iv)	Secretary, Services, Government of NCT of Delhi	-Member
	(v)	Dean, Maulana Azad Medical College	-Member
	(b)	SPECIALIST GRADE-I	
	(i)	Administrative Secretary, H & FW Department, Government of NCT of Delhi	—Chairman
	(ii)	Secretary, Services, Government of NCT of Delhi	-Member
	(iii)	Dean, Maulana Azad Medical College	Member
	(c)	SPECIALIST GRADE-II	
	(i)	Administrative Secretary, H & FW Department Government of NCT of Delhi	—Chairman
	(ii)	Secretary, Services, Government of NCT of Delhi	-Member
	(iii)	Dean, Maulana Azad Medical College	Member
П.	П	GENERAL DUTY SUB-CADRE POSTS	
	(a)	SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE	
	(i)	Chairman/Member, UPSC	—Chairman
	(ii)	Chief Secretary, Government of N.C.T. of Delhi	—Member
	(iii)	Administrative Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi	—Member
	(iv)	Secretary, Services, Government of NCT of Delhi	Member
	(b)	CHIEF MEDICAL OFFICER (NON-FUNCTIONAL SELECTION GRADE)	
	(i)	Administrative Secretary, H&FW Dept., Govt. of NCT of Delhi	Chairman
	(ii)	Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi	-Member
	(iii)	Director, Health Services, GNCT of Delhi	-Member
	(c)	CHIEF MEDICAL OFFICER	
	(1)	Administrative Secretary/Spl. Secretary H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi	—Chairman
	(ii)	Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi	-Member
	(iii)	Director. Health Services, GNCT of Delhi	-Member
	(d)	SENIOR MEDICAL OFFICER	
	(i)	Administrative Secretary/Spl. Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi	—Chairman

8	(ii) (iii)	Joint Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi Director, Health Services, GNCT of Delhi	Member Member
B.	CONFI	RMATION	
(I)	(I)	SPECIALIST GRADE-III	質
		(NON-TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE)	
	(1)	Administrative Secretary/Spl. Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi	—Chairman
	(ii)	Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi	Member
	(iii)	Dean, Maulana Azad Medical College	Member
(II)	(II)	MEDICAL OFFICER (GD.M.OSUB-CADRE)	PR 18/10/2000
	(i)	Special Secretary, H&FW Deptt., Govt. of NCT of Delhi	-Chairman
	(ii)	Jt. Secretary Services, Govt. of NCT of Delhi	Member
	(iii)	Director, Health Services. GNCT of Delhi	Member

Note: 1. DPC for an officer under the Dynamic Assured Career Progression Scheme shall be the same as the DPC for promotion.

SCHEDULE-V

Minimum education and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group 'A' duty posts in the Delhi Health Service.

1	2	3
I. Specialist GrIII (Super Specialities) (Pay Band -3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600)	Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions issued by the Central Government)	Essential: (i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in subsection (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.
	; se	 (ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned super speciality mentioned in Section-A of Schedule- VI or equivalent.
		(iii) Three year's experience in the concerned super- speciality after obtaining the first Post-graduate degree or 5 years experience after obtaining the PG Diploma.
	*	Note: In the case of holders of D.M. /M.Ch. qualifications of 5 year's duration, the period of senior PG residency rendered in the last part of the said D.M./M.Ch. shall be counted towards requirement of experience.
2. Specialist GrIII	Not exceeding 45 years	Essential:
(Other than Super Specialities) (Pay Band -3, Rs. 15,600-39,100 Grade Pay Rs. 6,600)	 (relaxable for Government servants by five years in accordance with instructions issued by the Central Government) 	(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub- section (3) of section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.
	-	(ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section-B in

是一个人,也是是这个人,也是是一个的人,也是是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一

2

Schedule-VI or equivalent.

(iii) Three years' experience in the concerned speciality after obtaining the first Post-graduate Degree or 5 years' experience after obtaining the Post-graduate Diploma. Note: For the post of Physician (Chest and Respiratory Disease) 3 years' experience in Respiratory Laboratories is required.

R. General Duty Sub-Cadre Posts
1. Medical Officer
(Pay Band -3,
Rs. 15,600-39,100
Grade Pay Rs. 5,400).

1

Not exceeding 32 years

Essential:

(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) Completion of compulsory rotating internship candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of I&K State, the Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 4: In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview the crucial date for reckoning the age limit shall be the first of January of the year in which the examination is held.

Note 5: The qualifications granted in United Kingdom shall be recognized medical qualifications only when granted on or before 11-11-1978.

SCHEDULE-VI

1.00	List of recognized Post-graduate
	But a stagraduate qualifications for recruinnent to Group (A)
21	List of recognized Post-graduate qualifications for recruitment to Group 'A' posts in Delhi Health Service

SI. No.	Subject	Section-A Requisite Post Graduate	Section-B
1	2	Degree Qualification	Requisite Post Graduate Diploma Qualification
		3	4
,	(A) NON-CLINI	CAL	
1.	Bio-Physics	M.D. (Bio-Physics)/M.Sc. (Bio-Physics)/	-
		M.D. (In Physiology/Bio-Chemistry) with	
		one year training in Bio-Physics	
2 1	Pathology		
- 971, -3	- Canada	- M.D. (Pathology)/	Don
		Ph.D. (Pathology)/	DCP
		D.Sc. (Pathology)	DPB
3. A	dicrobiology/	Mark	
В	lacteriology	M.D. (Bacteriology)/	D (Bact)
		M.D. (Microbiology)/	
		M.B.B.S. with M.Sc.(Med.)	DPB
		Bacteriology/M.Sc.(Med.)	
		Microbiology/Ph.D.(Med Bacteriology)	
		W. Sc. (Med. Bacteriology) with	
		D. Sc. (Med. Bacteriology)/	
		M.Sc. (Med. Microbiology) with	
		Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc.(Med.	
		Microbiology) with D.Sc. (Med.	
		Microbiology)	
4. An	atomy		
		MS (Anatomy)	
		M.Sc. (Anatomy)	
		M.Sc. (Medical Anatomy)	
		Ph. D (Anatomy)	
		D.Sc. (Anatomy)	186
Phy	siology		
		M.D. (Physiology)	
		M. Sc. (Physiology)	
		Ph. D (Physiology)	
		D. Sc. (Physiology)	
R10-	Chemistry	M.D. (Bio-Chemistry)	
		M Sc (Medical Discor	
		M. Sc. (Medical Bio-Chemistry)	
		Ph. D (Bio-Chemistry)	
Dhar		D.Sc. (Bio-Chemistry)	
raiari	macology	M.D. (Pharmacology)	
		M.D. (Pharmacology & Therapeutics)	
mo	2222	M.Sc. (Pharmacology)	
(B)C	LINICAL	(minoriogy)	
Gene	ral Medicine	M.D. (Medicine)	
		M.D. (General Ma #	
Foren	sic Medicine	M.D. (General Medicine)	
Radia	tion Medicine	M.D. (Forensic Medicine)	
		M.D. (Radiation Medicine)	
Paedia	atrics .	M.D. (Radio Therapy)	DBM
		 M.D. (Paediatrics) 	D.R.M.
Clinica	al Haematology	Diploma Paed., D.C.H	Dip. Paeds.
	racinatology	M.D. in Medicine/Pathology with these	DCH
		experience in Haematology	59

1	2	3	4
6	Tuberculosis & Respiratory	M.D. (Tuberculosis)	T.D.D.
		M.D. (TB & Respiratory Disc.)	D.T.D.
		M.D. (Medicine) with T.D.D., D.T.D., Or	D.T.C.D.
	Medicine	D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases)	
4			D.P.M.
7.	Psychiatry	M.D. (Psychological (One year course)	
		Medicine)/M.D. in Medicine with Diploma in	
		Psychological Medicine Diploma in Psychiatry (Edin) of two years course.	
		Diploma in Psychiatry (Mc.Gill) University,	
		Montreal, Canada of two years' course.	B.V
8.	Venereology	M.D. (Venereology)	D.V.
		M.D. (Dermatology) & Venereology)	
		MD. in Medicine with diploma in Venercology	-
0	Dermatology	M.D. (Dermatology)	D.D.
Sec.	De marcia D	M.D. (Dermatology & Venereology)	
		M.D. in Medicine with diploma in Dermatology)	
	N 11	M.D. (Dermatology & Venereology)/	D.V.D., D.D.V.D.V. & D
U.	Dermatology,	M.D. (Dermatology & Venerology & Leprosy)/	D. 1 (D.) (D.) (1.)
	Venereology and Leprosy	M.D. (Dermatology)/W.D. (Dermatology	
		including Ven.)/M.D.(Dermatology including	
		Ven./Lep./ M.D.(Medicine) with D.V.D. or D.D.	
11	General Surgery	M.S. (Surgery)	
11.	General Surgery		
DE:		M.S. (General Surgery)	D. Ortho.
	Orthopaedics	M.S. (Ortho)	D. Orino.
13.	Physical Medicine and	M.D.(P.M.R.)/M.D.(Medicine) with	
	Rehabilitation	Diploma in PMR/M.S.(General Surgery)	
		M.S. (Orthopaedics) with two years special training	
	*8	in the Speciality) of Physical Medicine and	
		Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or	
		two years of equivalent training approved in the	
	*	subject in any approved Institution in India.	
14	. Opthalmology	M.S. (Opthalmology)	D.O.
		M.D. (Opthalmology)	D.O.M.S.
15.	. Oto-Rhino-Laryngology	M.S.(Oto-Rhino-Laryngology)	D.I.O.
	(ENT)		DODI
			D.O.R.L.
16	 Obstetrics and Gynaecology 		D.G.O.
		M.S. (Obstetrics & Gynae)	The second
17	Maternity and Child Health		D.M.C.W.
		M.S. (Obst. & Gynae) M.D. (Mid & Gynaecology)	
	140	M.S. (Mid & Gynaecology) M.D. (Obstetrics)	
		M.D.	
		M.R.C.O,G,	
		M.D.(SPM)	
		M.D. (Community Medicine)	
		M.N.A.M.S. (Integrated MCH) Speciality Board of	
		Obst. & Gynaecology (U SA)	
18	 Radio-diagnosis 	M.D. (Radio-diagnosis)/	D.M.R.D. or equivalent
		M.D. (Radiology)/	diploma of one year duratio
		M.D. (Idiolology)	dibioting of this long animis

Make a service and the service of th

1 2	3	
19. Radio-Therapy	M.D. (Radio-Therapy)/M.D. (Radiology)/	4
	VI.S. (Radiology)	D.M.R.T. or equivalent diploma of one year
	Note: The persons who have done their	dipiona of one year
	M.D. in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 will also be eligible to apply to	
	the Post of Radio-diagnosis and Radio-Therapy	
20. Anesthesiology		
	M.D. (Anesthesiology)/ M.S. (Anesthesiology)	D.A.
21. Chest/Respiratory Dis-	eases M.D. Respiratory Diseases and T.B.O.	
	Diploma National Board (Respiratory Diseases)	
22. Nuclear Medicine		× .
4	M.D. (Nuclear Medicine)/	
	MD.(Radio-Therapy) with two years Experience in Nuclear Medicine in a recognized centre/	
	DNM/M.D.(Radio-Diagnosis) with the N	
86	The relief iii IVIICISAL Medicina in a	
	Centre/ M.D. (Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with DRM or	
	Divitor DNB in Nuclear Medicine	
	years experience in Nuclear Madinia.	
23. Nutrition	Accognized Centre,	
The RION	M.D. in Biochemistry/Physiology/	
	ramology/Medicine/Social and	
8	Medicine/Community Medicine or Paediatrics with M.Sc. in applied Nutrition of special training	
	for a period of one year.	
 Human Metabolism 	M.D. (Endocrinology) or M.D.	
	(Medicine)/M.D.(Paed.) with two years	
25 1	training in Endocrinology.	
 Immuno Hematology and Blood Transfusion 	D.M.(Immunology) or M.D. (immunolo-	
Diedd Transfusion	Tracingtology & Blood Transfer	
	IVI.D. (Fathology of Bacteriology on 11	
	with 2 years teaching experience or special training in the Deptt. of Immuno-Haematology	
	& Blood Transfusion.	
 Medical Genetics 	D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Med. Genetics) M.D. (General Medicina)	%
64		
	Cost. oc Ovnage) with two sizes	
7. Family Medicine	of the diedical Genetics.	
	M.D. (Family Medicine)/M.D. (General Medicine)	
8. Aviation Medicine/	M.D. (Aviation Medicine)/M.D. (Assessment)	120
Aerospace Medicine	Medicine) M.D. (Aerospace	
9. Geriatrics	M.D. (Family Medicine)/M.D. (General	
Unglet 4	Medicine)/M.D. (Geriatrics)	
). Health Administration	M.D. (Health Administration)/	
	M.D. (Hospital Administration)	
9	M. D. (Commmunity Health Administration)	

1	2	3
31.	Hospital Administration	M.D. (Hospital Administration)/ M.D. (Community Health Admn.)/ M.D. (Health Administration).
32.	Sports Medicine	M.D. (Sports Medicine)/ M.S. (Orthopaedics)/ M.D. (Physical Medicine & Rehabilitation)/ M.D. (Physiology) with 2 years experience in Sports Medicine.
33.	Tropical Medicine	M.D. (Tropical Medicine)/ M.D. (General Medicine)/ M.D. (Microbiology) Plus two years experience in clinical medicine.
34.	Rheumatology	M.D. (Rheumatology)/M.D. (Medicine) with 2 years experience in Rheumatology/ Immunology).
35.	Health Education	M.D. (Social & Prev. Med.)/ M.D. (Community Medicine)/ M.D.(Health Administration).
36,	Marine Medicine	M.D. (Physiology)/ M.D. (Medicine) with two years special training in Marine Medicine.
37	Occupational Health	M.D. (Psychiatry)/M.D. (Phy. Med. & Rehab.)/M.S. (Orthopaedics).
38.	Radiological Physics	M.Sc. (Physics/Chem./Biophysics) with Ph.D (Physics/Chem./Biophysics).
.39.	Virology	M. D. (Microbiology)/ M. D. (Pathology)/ M.D. (Medicine) with two years special Training in Virology M.Sc. (Medical Virology) with Ph.D in Virology.
	(C) SUPER SPECIALITIE	S
1.	Medical Gastroenterology	D.M. (Medical Gastroenterology)/ D.M. (Gastroenterology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology.
2.	Neurology	D.M. (Neurology)
3.	Endocrinology	D.M. (Endocrinology)/ M. D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special Training in Endocrinology.
4.	Cardiology	D.M. (Cardiology)
5.	Nephrology	D.M. (Nephrology)
6.	Plastic Surgery & Reconstructive Surgery	M.Ch. (Plastic Surgery) M.Ch. (Plastic & Constructive Surgery)
7.	Thoracic Surgery	M.Ch. (Thoracic Surgery) Or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA)

1 2	3
8. Neuro-Surgery	M. Ch. (Neuro-Surgery)
Paediatric Surgery	M.Ch. (Paediatric Surgery)
10. Urology	M.Ch. (Urology)
11. Cardio-Thoracic	M.Ch. (Cardio-Thoracic Surgery)/ M.Ch. (Thoracic Surgery) or Speciality Board of Thoracic Surgery (USA).
12. Gastro-Intestinal Surgery	M.Ch. (Gastro-Intestinal Surgery) M.S. (General Surgery) with two years Special Training in a Department of G.I. Surgery.
13. Cancer Surgery	M.Ch. (Cancer Surgery/Surgical Oncology)
14. Cardio Vascular & Thoracic Surgery	M.Ch. (Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/M.Ch. (Thoracic Surgery)/ M.Ch. (Cardio Surgery)/ M.Ch. (Vascular Surgery).
15. Neonatology	O.M. (Neonatology)/ M.D. (Paediatrics) with two years Special Training in Neonatology.
16. Clinical Haematology	D.M. (Clinical Hacmatology) M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) or M.D. (Pathology) with 2 years Special Training in Clinical Haematology.
17. Clinical Pharmacology	D.M. (Clinical Pharmacology) M.D. (Pharmacology) with 2 years Special Training in Clinical Pharmacology.
18. Immunology	D.M. (Inumunology)/M.D. (Medicine) or M.D. (Pathology) or M.D. (Microbiology) or M.D. (Pacdiatrics) with two years Special Training in Immunology.
19. Medical Genetics	D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Paediatrics) or M.D. (Medicine) or M.S. (Anatomy) with two years Special Training in Medical Genetics.
20. Medical Oncology	D.M. (Medical Oncology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Radio-therapy) or M.D. (Paediatrics) with 2 years Special Training in Medical Oncology.
21. Surgical Gastroenterology	M.Ch. (Surgical Gastroenterology)/ M.S. (Surgery) with 2 years Special Training in Surgical Gastroenterology.
22. Surgical Oncology	M.Ch. (Surgical Oncology)/ M.S. (Surgery) or M.S. (E.N.T.) or M.S. (Orthopaedics) or M.D. (Obst. & Gynae) with 2 years Special Training in Surgical Oncology.
	Note 1: M.R.C.P./F.R.C.P., F.R.C.S. refers to Diploma or Membership and Fellowship

3

awarded by all the Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of U.K. and Fellowship of Royal College of Canada.

Note 2: Holders of Speciality Board of USA Qualifications should complete the entire requirements of the Board concerned.

Note 3: Insofar as Post-graduate Medical Qualification awarded by Indian Universities are concerned, they should also find a place in the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 as amended from time to time.

Note 4: Member Academy of Medical Science MAMS.

(i) Note: This qualification shall be a recognized medical qualification as aforesaid only when granted on or after the 1st April, 1976 on the basis of the results of examination conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an Honorary Degree.

M.A.M.S. (Physiology)

M.A.M.S. (General Surgery)

MA.M.S. (General Medicine)

M.A.M.S. (Obst.& Gynae)

M.A.M.S. (Opth.)

M.A.M.S. (Social & Preventive Medicine)

M.A.M.S. (Psychiatry)

Membership of the National Academy of Medical Sciences

M.N.A.M.S. (Physiology)

M.N.A.M.S. (General Medicine)

M.N.A.M.S. (General Surgery)

M.N.A.M.S. (Obst.& Gynae)

M.N.A.M.S. (Soc. & Prevo. Medicine)

M.N.A.M.S. (Psychiatry)

M.N.A.M.S. (Opthalmology)

These qualifications shall be recognized medical qualifications as aforesaid only when granted on or after the Third April, 1977 on the basis of the result of examinations conducted (whether before or after the said date) by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi on behalf of the National Board of Examinations, New Delhi and not when conferred as an honorary degree.

M.N.A.M.S. (Radio-Diagnosis) M.N.A.S. (Radio-Therapy) M.N.A.M.S. (Health Administration)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the Government

of NCT of Delh

DIWAN CHAND, Addl. Secy.

- Note 5: In terms of Govt. of India. M/o Health & Family Welfare (Department of Health) Notification No. V. 110015/12/78-ME(Policy), dated 29-08-1978 the qualifications granted in United Kingdom shall be recognized medical qualifications only when granted on or before 11th November, 1978.
- Note 6: Holders of equivalent Post-graduate qualifications are approved by the Medical Council of India from time to time will be considered to have requisite Post-Graduate qualification in the subject concerned.
- Note 7: In case of qualifications in Super Specialties (M.Ch./D.M.), except in case of holders DM/M Ch. of five years' duration, the holder should have obtained M.D. (General Medicine) or M.S. (General Surgery) or an equivalent qualification as prescribed by the said Council in its recommendations on Post Graduate Medical Examination.
- Note 8: This list is not exhaustive. The Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission shall have the power to assign other qualifications to Part-A, B, C or D.